राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के कार्यवृत्त
स्थान: ताज यशवंतपुर, बेंगलुरु
दिनांक: 14 और 15 जुलाई, 2022

*****

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में 14-15 जुलाई, 2022 को राज्य के कृषि एवं बागवानी मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन-2022, ताज यशवंतपुर, बेंगलुरु के ऑरा हॉल में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया था और लॉजिस्टिक एवं अन्य व्यवस्थाएं कृषि विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा की गयी थीं। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध II** में दी गई है।

पहला दिन: 14.07.2022

(i) उद्घाटन सत्र

राष्ट्रगान के बाद, सम्मेलन का उद्घाटन **माननीय केंद्रीय कृषि** एवं **किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर,** कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बासवराज बोम्मई, और अन्य गणमान्य व्यक्तियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया, माननीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा, कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी, माननीया कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, श्री मनोज आहूजा, सचिव (ए एंड एफडब्ल्यू), डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव (डेयर), श्रीमती आरती आहूजा, सचिव (उर्वरक), राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि और बागवानी मंत्रियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया।

प्रारंभ में, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के **अपर सचिव, डॉ. अभिलक्ष लिखी** ने माननीय मंत्रियों, सचिवों, संयुक्त सचिवों, राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों एवं अन्य संगठनों, प्रेस और मीडिया तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया। इसके बाद डायस पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संबोधन किया गया।

श्रीमती आरती आहूजा, सचिव (रसायन और उर्वरक) ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि उर्वरक मंत्रालय में राज्यों तथा जिलों में उर्वरक की मात्रा की निगरानी के लिए एक प्रणाली है। ग्रीन अमोनिया और नैनो यूरिया पर काम शुरू हो गया है। उर्वरक क्षेत्र में नई नीति प्रणालियों के माध्यम से भू-राजनीतिक समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है क्योंकि कच्चे माल का आयात किया जाता है और इससे उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि होती है, इसलिए भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने किसानों पर बोझ कम करने के लिए सब्सिडी प्रदान करके वित्तीय सहायता की घोषणा की है। भारत सरकार (जीओआई) ने उर्वरकों के क्रॉस मूवमेंट को रोकने के लिए "वन स्टॉप शॉप" मॉडल की योजना बनाई है। उन्होंने सभी राज्यों को नैनो उर्वरकों को बढ़ावा देने और उसका उपयोग करने का सुझाव दिया तथा केंद्र के साथ मिलकर काम करने का अनुरोध किया ताकि सभी किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

डॉ. त्रिलोचन महापात्र, सचिव (डेयर) और महानिदेशक (आईसीएआर) ने कहा कि आईसीएआर प्रति वर्ष राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके आवश्यकता के अनुसार एक तकनीक विकसित कर रहा है। भारत सरकार ने

पिछले 8 वर्षों में 1956 नई किस्में जारी की हैं जिनमें से 80% जलवायु प्रतिरोधी हैं जो एक महत्वपूर्ण विकास है और पिछले 8 वर्षों की तुलना में यह दोगुनी है। प्रौद्योगिकी और सरकार की नीति के कारण दलहन उत्पादन वर्ष 2014-15 में 17 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 27 मिलियन टन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि तिलहन फसलों के लिए भी इसी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। कन्वर्जेंस बहुत आवश्यक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रौद्योगिकी को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। आईसीएआर ने बायो फोर्टिफाइड फसलों की किस्मों और मिलेट के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जो मानव स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने बताया कि आईसीएआर देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए नए जैव उर्वरक विकसित कर रहा है और राज्य सरकारों से इनका उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने टिकाऊ उत्पादों में वृद्धि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) और जैविक खेती (ओएफ) अपनाने का सुझाव दिया।

श्री मनोज आहूजा, सचिव (ए एंड एफडब्ल्यू) ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि तिलहन उत्पादन में 30% की वृद्धि हुई है। उन्होंने विपणन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विपणन प्लेटफॉर्म यानी वन नेशन वन मार्केट बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र की उपलब्धियों अर्थात, पीएम-किसान - जिसके तहत 11.37 लाख किसानों ने डीबीटी के माध्यम से प्रति वर्ष 6000/- रुपये का लाभ उठाया; प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) जिसके तहत किसानों को जलवायु संकट के कारण जोखिम का सामना करने पर वित्तीय सहायता दी जाती है; किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन - 10,000 नए एफपीओ; राष्ट्रीय कृषि बाज़ार प्लेटफ़ॉर्म ऑफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स - ई-नाम - राष्ट्रीय कृषि विपणन - उपज की ऑनलाइन बिक्री यानी, वन नेशन वन मार्केट - अपनी वस्तुओं को बेहतर मूल्य प्राप्त करने के लिए, आदि विषयों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। बागवानी के मोर्चे पर, उन्होंने कहा कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बागवानी में व्यापक गुंजाइश है। उन्होंने आगे बताया कि विभाग लगभग 55 बागवानी क्लस्टर विकसित करने की योजना बना रहा है। उन्होंने राज्य सरकारों से बागवानी क्षमता का उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को प्रशिक्षण देकर निर्यात के लिए बेहतर गुणवत्ता का उत्पादन करने में सक्षम बनाया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकारों को दलहन, तिलहन और बागवानी में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान देना चाहिए। सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करना, किसानों की आय में वृद्धि कृषि क्षेत्र का फोकस क्षेत्र होना चाहिए। किसानों को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाए।

इसके बाद पीएम-किसान, पीएफएमबीवाई, एआईएफ, एमएसपी, केसीसी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, पीकेवीवाई, एफपीओ, खाद्य तेल जैसी कुछ प्रमुख योजनाओं के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की उपलब्धियों पर एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई। 8 वर्षों के दौरान कृषि को आधुनिक बनाने और किसानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। कृषि बजट वर्ष 2013-14 के 21935 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 1,24,000 करोड़ रुपये हो गया। खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2013-14 के 265.05 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 374.05 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) हो गया। बागवानी उत्पादन वर्ष 2013-14 के 280 मिलियन टन से बढ़कर 2021-22 में 335.25 मिलियन टन हो गया। ई-नाम प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स (पीओपी) लॉन्च किया गया और ई-नाम पर एक कॉफी टेबल बुक जारी की गई जिसके बाद माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा 1018 एफपीओ को इक्विटी अनुदान जारी किया गया।

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने अपने संबोधन में कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में विश्व में अपनाई जाने वाली परिपाटी को समझकर देश के कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली और इसे अपने देश में कैसे लागू किया जा सकता है, पर विचार-विमर्श किया जाना है। कृषि

और उर्वरक एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों मंत्रालय नवाचारों के लिए परामर्श करते हैं। उर्वरक एक ऐसा क्षेत्र है जो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है और कृषि उत्पादन में वृद्धि करता है। देश में यूरिया का उत्पादन खपत से कम है इसलिए 65% यूरिया आयात करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे आयात बिल बढ़ता है। 3000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है और विश्व में उर्वरक की कीमत बढ़ रही है। प्रधान मंत्री जी ने बार-बार कहा है कि मूल्य वृद्धि का बोझ किसानों पर नहीं पड़ना चाहिए। इन परिस्थितियों में नैनो यूरिया का उत्पादन शुरू हो गया है और वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख टन नैनो यूरिया का उत्पादन हो रहा है। वर्ष 2025 से पहले नैनो यूरिया के नौ संयंत्र चालू हो जाएंगे और सरकारी कंपनी भी संयंत्र स्थापित करने जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उर्वरकों के समुचित वितरण के लिए रसायन एवं उर्वरक विभाग द्वारा एक एकीकृत उर्वरक प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया है। सभी राज्य सरकारों से पोर्टल पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया गया था। इस पोर्टल पर जिलेवार उर्वरकों का दैनिक रिकार्ड उपलब्ध है, जिससे आवश्यकतानुसार उर्वरक का वितरण किया जा सके। सब्सिडी के कारण यूरिया और उद्योगों का राज्य से बाहर डाइवर्जन हो रहा है। मंत्री महोदय ने उद्योगों को सब्सिडी का डायवर्जन रोकने की भी अपील की क्योंकि सरकार किसानों को सब्सिडी दे रही है न कि उद्योगों को। राज्य सरकारों को समय-समय पर इसकी जांच करनी चाहिए। देश में 2.40 लाख उर्वरक केंद्र हैं और भारत सरकार प्रति वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपये की सब्सिडी दे रही है। विश्व की कुल खपत में से 35% यूरिया और फॉस्फोरस उर्वरकों की खपत भारत द्वारा की जाती है। देश में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन कम होता है इसलिए इसे अन्य देशों से आयात किया जाता है। इसलिए, इन उर्वरकों की कीमतें अधिक हैं। नैनो यूरिया का उपयोग किसानों की आय को दोगुना करने में मदद करता है और लागत को कम करता है।

कर्नाटक के माननीय मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि हमारे देश की संस्कृति है। कृषि क्षेत्र में 1% की वृद्धि से विनिर्माण क्षेत्र में 4% और सेवा क्षेत्र में 10% की वृद्धि हो सकती है। किसान कृषि का संरक्षक है। हमारे देश का आर्थिक इंजन कृषि द्वारा निर्मित है क्योंकि इससे खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। उन्होंने किसान केंद्रित नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आगे बताया कि कर्नाटक राज्य विविध मौसम, मृदा संरचना और फसलों के साथ 10 कृषि-जलवायु क्षेत्रों से संपन्न है, इसलिए, कोविड-19 अवधि के दौरान यहां 10% अतिरिक्त वृद्धि दर्ज की गई। उन्होंने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और मृदा कार्बन तथा नाइट्रोजन के स्थिरीकरण द्वारा मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक खेती, पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि की संतुलित परिपाटियों पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि कर्नाटक डिजिटल कृषि में अग्रणी राज्य है। किसानों द्वारा और किसानों के लिए "किसान क्षीरा बैंक/किसान दुग्ध बैंक" की स्थापना की गई है। राज्य सरकार किसानों के बालकों के लिए "विद्यानिधि" छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। राज्य सरकार बेहतर उत्पादकता के लिए कर्नाटक में "भूचेतना" को फिर से शुरू करेगी। कर्नाटक में माध्यमिक कृषि निदेशालय की स्थापना की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने किसान कल्याण के लिए सभी कृषि एवं संबद्ध विभागों को एकीकृत किया है।

माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने अपने संबोधन में कहा कि कृषि के क्षेत्र में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हर संभव प्रयास कर रही हैं। कृषि बहुत संवेदनशील विषय है और विशेष रूप से इसका संबंध गरीब किसानों से है। उन्होंने सुझाव दिया कि केंद्र और राज्यों को मिलकर योजना बनानी चाहिए ताकि गांव में बैठे लघु किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। उर्वरकों के क्षेत्र में आयात सब्सिडी को कम करने पर ध्यान देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के संदर्भ में हमारा देश अपनी खाद स्वयं तैयार कर सकता है। मेक इन इंडिया पर फोकस देना होगा जिससे नए उद्योग खुलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने विशेष रूप से कर्नाटक और मध्य प्रदेश में डिजिटल कृषि पर किए जा रहे

अच्छे कार्यों की सराहना की। ई-नाम पर बोलते हुए, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि ई-नाम किसानों की उपज की इलेक्ट्रॉनिक बिक्री का मंच है और यह देश में विपणन के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य कर रहा है। लगभग 1000 मंडियों को ई-नाम से जोड़ा गया है और बड़ी संख्या में किसान भी इससे जुड़े हैं। माननीय मंत्री महोदय ने आगे सुझाव दिया कि पीएम-किसान में संतृप्ति प्राप्त करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए और प्रयास किए जाने चाहिए ताकि सभी पात्र किसानों को इसका लाभ मिल सके। मिलेट के महत्व पर जोर देते हुए माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने उल्लेख किया कि पहले के दिनों में इसका बहुत अधिक उपयोग होता था लेकिन धीरे-धीरे इसका उत्पादन कम हो रहा है। उन्होंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और भारत इसका नेतृत्व करेगा। प्राकृतिक खेती के विषय में उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती पर जोर दिया है जिससे उपज की गुणवत्ता और साथ ही मिट्टी की शुद्धता में वृद्धि होगी तथा किसानों को उनकी उपज का अधिक मूल्य मिलेगा। उन्होंने जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य और मल्चिंग की तैयारी में देशी गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग करके प्राकृतिक खेती के महत्व को व्यक्त किया। भारत सरकार ने 2019 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) की शुरुआत की और इसके तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया। बीपीकेपी के तहत आईसीएआर के हस्तक्षेप, पहल और प्रयासों को प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि में देखा जा सकता है अर्थात खाद्यान्न उत्पादन में 6.19%, तिलहन में 7.46%, कपास में 11.67% की वृद्धि हुई। पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन (पीईक्यू) सुविधा ने रोग मुक्त गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री प्रदान करने में मदद की। कोल्ड स्टोरेज चेन को सरकार के समर्थन, एकीकृत बागवानी विकास मिशन और करार कृषि पहल का लाभ 10 लाख से अधिक किसानों को दिया गया।

(ii) विषयगत विषयों पर प्रस्तुतियाँ

1. **वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के नए दिशानिर्देशों के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में धन जारी करने पर प्रस्तुति - अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार: श्री संजीव कुमार**
   - वित्त वर्ष 2021-22 में, एसएनए खाते में कुल 10,416.83 करोड़ रुपये जारी किए जाने थे और आज तक 4,119.06 करोड़ रुपये कार्यान्वयन एजेंसियों के पास लंबित हैं तथा उन्हें अगली रिलीज प्राप्त करने की पात्रता के लिए 1,515.06 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
   - राज्य सरकारों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे-
     - 20 जुलाई, 2022 तक या उससे पहले प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्र और राज्य के हिस्से को एसएनए खाते में स्थानांतरित करना।
     - अगली रिलीज की पात्रता के लिए एसएनए खाते में 25% से कम उपलब्ध राशि का उपयोग करना।
     - सीएफआई को शेयरिंग पैटर्न के अनुपात में एसएनए पर अर्जित ब्याज जमा करना।

असम के माननीय कृषि मंत्री श्री अतुल बोरा ने अपने संक्षिप्त संबोधन में असम में माननीय कृषि मंत्री द्वारा किए गए कार्यों के लिए शुभकामनाएं दीं और धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि असम के मुद्दों पर प्रधान सचिव और आयुक्त द्वारा चर्चा की जाएगी।

2. **डिजिटल कृषि पर प्रस्तुति - संयुक्त सचिव: श्री प्रमोद कुमार मेहरदा**

महत्त्वपूर्ण विचार:

1. कृषि के डिजिटलीकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व पर प्रकाश डाला।
2. एग्रीस्टैक :
   यह एकीकृत किसान सेवा इंटरफेस (यूएफएसआई) है। यह सरकारों, एग्रीटेक, एग्री स्टार्ट-अप, एफपीओ और अन्य द्वारा किसानों के लिए डिजिटल सेवाओं के वितरण की प्रणाली है।

लाभ: खेती करने में आसानी और किसानों को अधिक लाभ। क्योंकि, यह यूनिक किसान आईडी बनाता है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक फार्म रिकॉर्ड, भू-संदर्भित गांव के नक्शे, रियल टाइम डिजिटल फसल सर्वेक्षण डेटा, मिट्टी की संरचना, मृदा स्वास्थ्य, मौसम डेटा और आईसीएआर रिपोजिटरी डेटा तथा कृषि प्रथाएं उपलब्ध होती हैं। लक्ष्य: मार्च 2023 तक कम से कम 75% राज्यों में काम पूरा किया जाना है। अंत में, कर्नाटक सरकार द्वारा किए गए डिजिटल कार्यों, अर्थात भूमि, फल, संरक्षण, फसल सर्वेक्षण आदि की सराहना की।

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: वर्तमान परिस्थिति में कृषि में बड़े निवेश की आवश्यकता है। नुकसान होने पर किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर हम तकनीक के हिसाब से आगे बढ़ते हैं तो सरकार के लिए काम करना आसान होगा और सरकार किसानों को नुकसान से बचाने की स्थिति में होगी।

3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)- संयुक्त सचिव: श्री रितेश चौहान

- पीएमएफबीवाई के महत्वपूर्ण डेटाबेस अर्थात योजना में नामांकित 37 करोड़ किसानों (खरीफ 2016 से) पर प्रकाश डाला गया।
- आंकड़ों से पता चला है कि पीएमएफबीवाई बीमा राशि प्रति यूनिट (रु./हेक्टेयर) में 87% की वृद्धि, योजना में स्वैच्छिक नामांकन के प्रतिशत में 53% की वृद्धि देखी गई है।
- किसानों की प्रमुख चिंताओं का समाधान हस्तक्षेपों के माध्यम से करने की आवश्यकता है जैसे: -
  क) पात्र दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना
  ख) डिजिटल शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म द्वारा किसानों के बीच विश्वास मजबूत करना

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी की टिप्पणी: लघु/सामान्य किसान तक लाभ नहीं पहुंचता है। 2 बीघा भूमि वाले किसान भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें और इसके लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर प्रयास करना चाहिए।

4. प्राकृतिक खेती - संयुक्त सचिव: श्री प्रियरंजन

- बढ़ती आबादी की खाद्य आपूर्ति के लिए हरित क्रांति के प्रभावों, अधिक उर्वरकों और एचवाईवी के उपयोग जिससे मिट्टी के स्वास्थ्य और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों में गिरावट आई, को रेखांकित किया।
- जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य और मल्चिंग की तैयारी में देशी गाय के गोबर और मूत्र का उपयोग कर प्राकृतिक खेती के महत्व को व्यक्त किया।
- माननीय प्रधान मंत्री मोदीजी के 16 दिसंबर, 2021 के भाषण के अंशों को दोहराया, अर्थात, 'खेती को प्रयोगशाला से बाहर निकालने और प्राकृतिक प्रयोगशाला से जोड़ने की आवश्यकता है'

- प्राकृतिक खेती के समर्थन में भारत सरकार ने 2019 से भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) की शुरुआत की और 8 राज्यों में बीपीकेपी के तहत 4.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया तथा अन्य पांच राज्यों में 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए मंजूरी मिली।
- प्राकृतिक खेती के तहत अधिक क्षेत्र लाने से पृथ्वी और जीवों को बचाया जा सकेगा।

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी की टिप्पणी: यह विषय हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पृथ्वी की आत्मा उन्हीं में निवास करती है जो उसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। प्राकृतिक खेती हमारी पारंपरिक प्रणाली है। हमें प्राकृतिक खेती की संस्कृति को विकसित कर इसे बाजार देना है और इसे लाभदायक बनाना है ताकि किसान निराश न हों।

5 एवं 6. विपणन पर प्रस्तुतिकरण (एफपीओ और ई-एनएएम) - संयुक्त सचिव: डॉ. एन. विजया लक्ष्मी

- रु. 15 लाख तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान; रु. 18 लाख की प्रबंधन लागत; और 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड
- बर्ड, लखनऊ; एनआईएएम, जयपुर और लिनैक, गुरुग्राम के माध्यम से एफपीओ का क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और कौशल विकास
- पंजीकृत कुल एफपीओ- 3,133 जिनमें से महिला एफपीओ का गठन- 245
- जारी किया गया कुल इक्विटी अनुदान- 16.99 करोड़
- सरकार ने एफपीओ के साथ अधिक सहयोग करने और कृषक समुदाय के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए उद्योगों के लिए एक औपचारिक प्रवेश तंत्र बनाया है
- एफपीओ उत्पादों को न्यूनतम 60% संस्थागत बाजार लिंकेज प्रदान करने का लक्ष्य है
- अब तक कृषि मूल्य श्रृंखला संगठनों को 900 एफपीओ आवंटित किए जा चुके हैं
- राज्य सरकारों से अपेक्षाएं-
    - पिछले वित्तीय वर्षों - 2020-21 और 2021-22 के लिए लगभग 1,500 डी-एमसी अनुमोदन लंबित हैं
    - चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 2,500 डी-एमसी अनुमोदन की आवश्यकता होगी
    - कृषि मेला आदि जैसे मौजूदा राज्य अभियानों के हिस्से के रूप में एफपीओ जागरूकता कार्यक्रम
    - लाइसेंस के लिए एफपीओ को तरजीही व्यवस्था - कृषि इनपुट और मंडी ट्रेडिंग
- **ई-नाम**
    - **कवरेज-** बाजार- 1260, राज्य - 22, संघ राज्य क्षेत्र - 3
    - **हितधारक-** किसान - 1.73 लाख, व्यापारी 2.26 लाख, कॉमन एजेंट - 1.05 लाख; एफपीओ - 2100 से अधिक
    - **ई-भुगतान-** इनवॉइस - 6.5 लाख, मूल्य- रु. 2,165 करोड़
    - **व्यापार-** व्यापार का परिमाण- 6.10 करोड़ एमटी, व्यापार मूल्य - रु. 2.05 लाख करोड़, अधिसूचित जिंसें- 193
    - **प्रारंभिक प्रशिक्षण-** प्रशिक्षण- 5,390, हितधारक भागीदारी- 4.83 लाख
- डिजिटल परिवर्तन (ऑनलाइन व्यापार और प्रतिस्पर्धी मूल्य खोज) - अग्रणी राज्य: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और झारखंड
- एकीकृत तौल प्रणाली (एकीकृत तौल पैमाने के माध्यम से पारदर्शिता और सटीकता) - अग्रणी राज्य: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान

- गुणवत्ता परख आधारित व्यापार (वस्तुओं की वास्तविक गुणवत्ता के आधार पर कीमतें) - अग्रणी राज्य: राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना।
- किसान को सीधा भुगतान (सशक्त ई-भुगतान प्रणाली) - अग्रणी राज्य: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: दुरुपयोग को रोकने के लिए एफपीओ की कड़ी निगरानी की जाए। 5, 8 और 10 बीघा भूमि वाले किसानों को एफपीओ के नेटवर्क में लाया जाए। 2 बीघा वाले किसान को कोई फायदा नहीं हुआ और उसकी हालत जस की तस बनी हुई है.

7. नए युग के उर्वरकों पर प्रस्तुति- संयुक्त सचिव: सुश्री ए नीरजा

- नए युग के उर्वरक समय की आवश्यकता हैं क्योंकि वे स्वदेशी रूप से निर्मित, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, कुशल और संभालने में आसान हैं।
- नए युग के उर्वरकों के प्रकार- नैनो उर्वरक, पीडीएम, किण्वित खाद, पानी में घुलनशील उर्वरक, अनुकूलित उर्वरक, सिंगल सुपर फॉस्फेट।
- किसानों को नैनो उर्वरकों के लाभ- उच्च फसल उपज, कुशलतापूर्वक उपयोग, आसान परिवहन, पारंपरिक यूरिया का 50% तक प्रतिस्थापन
- कृषि आदानों और सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के लिए नई नीतिगत पहल।
- राज्यों से अपेक्षा-
    - नए युग के उर्वरकों का प्रचार
    - उर्वरकों का संतुलित उपयोग
    - डीएपी की जगह एसएसपी को बढ़ावा
    - उर्वरकों की आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी
    - उर्वरकों के अंतर-जिला एवं अंतरा-जिला संचलन के लिए सूक्ष्म योजना

8. कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) पर प्रस्तुति - संयुक्त सचिव: श्री सैमुअल प्रवीण कुमार

- पहली बार **15** मई **2020** को वित्त मंत्रालय द्वारा आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहत शुरू किया गया। **8** जुलाई**, 2021** को कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित संशोधन और मई **2022** में माननीय कृषि मंत्री द्वारा अनुमोदित।
- महत्वपूर्ण एआईएफ पर प्रकाश डाला - उच्च फसलोपरांत की हानि**,** विशाल अवसंरचना की कमी**,** बिचौलियों पर निर्भरता**,** दीर्घकालिक संस्थागत वित्त पोषण की कमी**,** कृषि में धीमी तकनीक अपनाना।
- एआईएफ के तहत सहायता - ब्याज सबवेंशन**,** क्रेडिट गारंटी**,** कन्वर्जेंस**,** परियोजना पात्रता।
- पात्र लाभार्थी हैं - किसान**,** किसान समूह**,** कृषि उद्यमी**,** बड़े व्यवसाय और राज्य एजेंसियां।
- राज्य स्तर**,** जिला स्तर और नाबार्ड के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य।

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: आम धारणा है कि बैंक आसानी से ऋण नहीं देते हैं। कृषि मंत्रालय ने पोर्टल बनाया राज्यों को मेरा सुझाव है कि वे कार्यान्वयन एजेंसी बनाएं। स्थान**,** व्यक्ति और परियोजना की पहचान करें और पोर्टल पर अपलोड करें। हम हर महीने समीक्षा बैठक करते हैं। उन्हें **60** दिनों के भीतर और कम मेहनत के साथ ऋण मिल जाएगा। 90000 करोड़ की परियोजनाएं मंजूर किए गए हैं।

9. उप महानिदेशक डॉ. ए.के. सिंह द्वारा आईसीएआर संस्थानों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों पर प्रस्तुति:

प्रस्तुति इतिहास में आईसीएआर और उसके संस्थानों के कार्य और भूमिका के बारे में बताया गया। शुरुआत **1879** में पुणे में फिर **1905** (इंपीरियल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट) और **1929** (इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च) में हुई थी। आईसीएआर के तहत कई विश्वविद्यालय और केवीके हैं। इसमें विशेष संस्थान हैं। फसल विज्ञान में **28** संस्थान, बागवानी में **23** संस्थान, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में **50** संस्थान, कृषि इंजीनियरिंग में **5** संस्थान हैं। इसमें आलू, गन्ना, धान, गेहूं आदि वस्तुओं पर विशेष संस्थान हैं। केवीके द्वारा नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है और बीज और रोपण सामग्री का उत्पादन किया जाता है। उन्होंने कहा कि हम **5** करोड़ किसान तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। किसान सारथी प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कृषि आकस्मिकता योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि आईसीएआर ने जलवायु प्रतिरोधी किस्मों के मॉडल और जैव-फोर्टिफाइड किस्मों को भी विकसित किया है।

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: नए बीज आते हैं लेकिन पुराने बीजों का उपयोग जारी है जो उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। हमें पुराने बीजों को रोकने के प्रयास करने होंगे। प्रौद्योगिकी राज्यों के लिए उपयोगी है और उन्हें इसका उपयोग करना चाहिए।

10. बागवानी पर प्रस्तुति- संयुक्त सचिव: श्री प्रियरंजन

- बागवानी कुल खेती वाले क्षेत्र का 18% कवर करता है
- 2021-22 में 27.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र से 333.25 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी उत्पादन
- 2021-22 में ताजे फल और सब्जियों के निर्यात का कुल मूल्य 12,540.57 करोड़ रुपये था
- मसालों का कुल निर्यात 29,273.86 करोड़ रु.
- पिछले 7 वर्षों में, बागवानी के तहत क्षेत्र 23.4 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 27.5 मिलियन हेक्टेयर (17.74%) हो गया है, जबकि समेकित बागवानी विकास की सहायता से उत्पादन 280.9 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर 333.25 मिलियन हेक्टेयर (18.63%) हो गया है।
- एमआईडीएच का उद्देश्य क्षेत्र आधारित क्षेत्रीय रूप से विभेदित कार्यनीतियों के माध्यम से बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी संवर्धन, विस्तार, फसलोपरांत प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन, प्रत्येक राज्य/क्षेत्र और इसके विविध कृषि जलवायु विशेषताएं के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप है।
- राज्यों से अपेक्षाएं-
  - काजू, आला दर्जे की फसलों और विदेशी फल फसलों जैसी बागवानी प्राथमिकता वाली फसलों के साथ तालमेल बिठाने की कार्य योजनाएँ
  - फसलोपरांत के प्रबंधन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी में मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण अवसंरचना
  - विदेशी और देशी फलों पर ध्यान देना
  - सेब जैसी फसलों के लिए ट्रेलिस जैसी सहायक संरचना के साथ अल्ट्रा हाई डेंसिटी वृक्षारोपण की शुरूआत।

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: हम किसानों को पौधे उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। हमें इसकी चिंता है। यह सुझाव दिया गया है कि राज्यों को एक मदर नर्सरी बनाना चाहिए। हमारी ओर से जिस प्रकार की सहायता

की आवश्यकता होगी वह दी जाएगी। आप चाहें तो पीपीपी मोड में जा सकते हैं। आईसीएआर से दिशा-निर्देशों की किसी भी सहायता की आवश्यकता है, हम सहायता करेंगे। पौधरोपण को लेकर बड़ी चुनौती है।

(iii) राज्य के कृषि और बागवानी मंत्रियों का सत्र

10 विषयगत विषयों पर प्रस्तुतीकरण के बाद, माननीय राज्य कृषि मंत्रियों को एक-एक करके अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सत्र का संचालन माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने किया।

I. माननीय कृषि एवं सहकारिता, विपणन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री - आंध्र प्रदेश राज्य: श्री काकानी गोवर्धन रेड्डी

- आंध्र प्रदेश में, कृषि क्षेत्र में किसानों को उनकी आय के स्तर को बढ़ाने में मदद करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं:
  क) वाईएसआर रायथु भरोसा - पीएम-किसान
  ख) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति
  ग) सार्वभौमिक और मुफ्त फसल बीमा
  घ) ब्याज मुक्त फसल ऋण
  ड़) प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए आदान सब्सिडी
  च) एमएसपी पर कृषि फसल उपज की फार्म गेट खरीद
  छ) बाजार स्थिरीकरण
- कृषि और बागवानी के तहत प्रत्येक एकड़ भूमि को ई-फसल मंच के माध्यम से डिजिटल रूप से पंजीकृत किया जाता है।
- राज्य किसानों को आसानी से और तुरंत फार्म मशीनरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फार्म इम्प्लीमेंट्स के साथ ग्राम/आरबीके स्तर कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके बड़े पैमाने पर फार्म मशीनीकरण उपलब्ध कर रहा है।

I. माननीय कृषि मंत्री - पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र श्री सी. जयकुमार

- चावल परती क्षेत्रों और अंतर-फसल को लक्षित करने के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कम पानी की खपत वाली फसलों जैसे दलहन, तिलहन और मिलेट की खेती को बढ़ावा देकर भूजल के संरक्षण और उपयोग के लिए मोनो फसल क्षेत्रों से फसलों के विविधीकरण को प्राप्त करने के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं।
- किसानों की अधिक भागीदारी के साथ पीएमएफबीवाई का कार्यान्वयन।
- 2018 में ई-नाम के कार्यान्वयन ने 2019 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार प्राप्त किया।
- पीएम-किसान योजना के तहत अब तक 11,285 लाभार्थी पोर्टल में पंजीकृत होकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
- मृदा की उर्वरता बढ़ाने के उद्देश्य से सीएसएस परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बड़े पैमाने पर लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

III. माननीय कृषि मंत्री - मध्य प्रदेश: श्री कमल पटेल

- पीएफएमबीवाई में सुधार की आवश्यकता है। किसानों की फसल/उत्पादन पर बीमा हो।
- पिछले 2 वर्षों में किसानों को 17,000 करोड़ रुपये बीमा राशि का भुगतान किया गया
- वन गांव - पीएमएफबीवाई के लिए राजस्व गांवों के संघर्ष को भारत सरकार के सहायता से हल किया गया है।
- एमएसपी खरीद के लिए प्रति किसान सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया। फसलों का मूल्य एमएसपी पर तय होना चाहिए।
- किसान सम्मान निधि का क्रियान्वयन। 82 लाख किसानों को 18,000 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई।
- 0% ब्याज पर ऋण देने का सुझाव दिया।
- जैविक और प्राकृतिक खेती के लिए अग्रणी राज्य।
- मध्य प्रदेश को लगातार 7 वर्षों तक कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

IV माननीय बागवानी मंत्री - उत्तर प्रदेश: श्री दिनेश प्रताप सिन्हा:

हमें सबसे सक्षम व्यक्तियों को खेती में लाना चाहिए। हम युवाओं को जोड़ने के लिए गांवों में बैठकें करते हैं। बैंकिंग समस्या है। वे ऋण नहीं देते हैं। हमें उन्हें क्रेडिट लिंक से मुक्त करना चाहिए।

V माननीय कृषि मंत्री - कर्नाटक राज्य: श्री बी.सी. पाटिल

- किसानों को एक मंच यानी किसान पंजीकरण और एकीकृत लाभार्थी सूचना प्रणाली (फ्रूट्स) के तहत लाने के लिए कृषि में डिजिटल कृषि हस्तक्षेप शुरू हुआ। यह एक मंच पर कृषि भूमि की जानकारी और कृषि ऋण विवरण का केन्द्र बनाने के लिए एक ई-गवर्नेंस पोर्टल है।
- कर्नाटक में भूमि से जुड़े 78 लाख किसान भंडार डेटा हैं और बाद में फसल सर्वेक्षण से जुड़े हैं। 46 लाख भूमि फसल सर्वेक्षण किसानों ने स्वयं किया है।
- कर्नाटक के पास कृषि के लिए आवश्यक मृदा प्रोफाइलिंग, मौसम डेटा और अन्य संबद्ध डेटा का डिजिटल डेटा है।
- कर्नाटक में पीएमएफबीवाई का अपना पोर्टल केआरएस-पीएमएफबीवाई (संरक्षण) है जिसका भूमि, आधार पोर्टल, मौसम डेटा, फसल सर्वेक्षण और एनपीसीआई के साथ एकीकरण है।
- कृषि मंत्रालय, कर्नाटक ने थ्रेसहोल्ड यील्ड (टीवाई) की गणना के लिए लागू/प्रयुक्त प्रक्रिया पर आपत्ति जताई और भारत सरकार से संशोधन लाने के लिए कहा।
- **पीएम-किसान -** केंद्रीय हिस्सा 6000 रु. प्रति वर्ष के साथ 4000 रु. /- प्रति वर्ष कर्नाटक सरकार द्वारा अतिरिक्त हिस्सा। दिया जाता है। कुल मिलाकर, इस योजना में प्रति वर्ष 10,000 रु. प्रति किसान से लाभान्वित होता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष -** परंपरागत रूप से उगाए गए बाजरा और वर्तमान में 6.5 लाख हेक्टेयर को प्रोत्साहित करना। क्षेत्र विभिन्न प्रकार के मिलेट के अधीन है।
- **रायथा सिरी -** सभी मिलेट की खेती। इस योजना में 78303 किसान लाभान्वित हुए। सरकार 6000/- रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है।
- **मुख्यमंत्री रायथा विद्या निधि -** केवल 8वीं से 10वीं कक्षा की लड़कियों के लिए 2000/- रुपये प्रदान करके किसानों के बच्चों को शिक्षा को प्रोत्साहित करना। 2500 रु./- से 11,000/- पीयूसी, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए प्रदान किया जाना है 2021-22 के दौरान 7 लाख बच्चों को 262.00 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति मिली है।

- बीएससी कृषि में शामिल होने के लिए, कृषक समुदाय के बच्चों के लिए कृषि कोटा में आरक्षण 40 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।
- **कृषि यंत्रीकरण को सहायता -** वर्तमान वर्ष के दौरान डीजल सब्सिडी 250/- रुपये प्रति एकड़ से अधिकतम 5 एकड़ तक प्रदान की जा रही है।
- **कृषि संजीवनी -** एक चल प्रयोगशाला वैन है जो मृदा परीक्षण और जल परीक्षण सुविधा से सुसज्जित है। कृषि डिप्लोमा और कृषि डिग्री धारक कीटों और बीमारियों से संबंधित किसानों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। राज्य में 742 आरएसके में से प्रत्येक को मोबाइल वैन उपलब्ध कराने की योजना है।
- कृषि मंत्री ने किसानों की स्थिति को समझने और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सभी जिलों का दौरा किया (रैथारोंडिगोंडुडीना कार्यक्रम)।

VI माननीय कृषि मंत्री - उत्तर प्रदेश: श्री सूर्य प्रताप शाही

- हमने पीएम-किसान को छोड़कर डीबीटी के माध्यम से 1.18 करोड़ रु. किसानों के खातों में 2731.00 करोड़ रूपए आवंटित किए।
- हमें खेत तालाब के लिए 15000 आवेदन प्राप्त हुए हैं और हम केवल इन किसानों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान करेंगे।
- गंगा-यमुना पट्टी के कारण हमारे राज्य में शायद ही कभी सूखा पड़ा हो, इसलिए हम अपने राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को ठीक से लागू नहीं कर पाए। नेपाल से पानी छोड़े जाने के कारण हर साल बारिश के मौसम में लगभग 15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। कुछ बीमा कंपनियों को भी इन किसानों से आवेदन नहीं मिले। इसी तरह हम ऐसे किसानों को एक-दो महीने के भीतर सहायता प्रदान करते हैं जबकि बीमा कंपनियों को पीएमएफबीवाई के तहत दावों का निपटान करने में कम से कम एक वर्ष का समय लगता है।
- हम प्राकृतिक खेती भी कर रहे हैं। हमने जनवरी 2020 के दौरान गंगा नदी के पास रहने वाले 1730 किसानों को कवर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की है। हम राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा यात्रा कर रहे हैं। हम सभी 24 सब डिवीजनों में जैविक खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। हम राज्य के सभी जिलों में प्रशिक्षण आयोजित करने की भी योजना बना रहे हैं। जैसा कि माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है, हम बुंदेलखंड को जैविक खेती का हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। "नमामि गंगे" कार्यक्रम के तहत हम लगभग 85710 हेक्टेयर को कवर कर रहे हैं। हम देसी गाय की मदद से प्राकृतिक खेती भी करने की कोशिश कर रहे हैं।
- 1265 नंबर के एफपीओ के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। हमने मार्च 2023 तक 200 एफपीओ के गठन को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, हम और 625 एफपीओ का गठन करेंगें।
- हम बागवानी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अगले पांच वर्षों के दौरान इसके योगदान को 25% से बढ़ाकर 40% करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बागवानी फसलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं। लेकिन ब्रीडर बीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, इसे उत्तर प्रदेश के लिए उपलब्ध कराने का अनुरोध किया जाता है।

- भारत सरकार से यह भी अनुरोध है कि दलहन-तिलहन अंतर-फसल योजना लाए, ताकि हम गन्ने के क्षेत्र को कम कर सकें जो दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

VII माननीय कृषि मंत्री - अरुणाचल प्रदेश: ईजी. तागे ताकी

- हम जनसंख्या के हिसाब से बहुत छोटे हैं, मैंने सभी पीपीटी देखे हैं, भारत सरकार से अनुरोध है। कि सभी गतिविधियों के लिए सामूहिक सर्वेक्षण करने के लिए क्योंकि हम पीस मील सर्वे के कारण समस्या का सामना कर रहे हैं। भारत सरकार को केवल एक सर्वेक्षण करना चाहिए जिसमें भूमि, फसल, मृदा आदि जैसी सभी गतिविधियाँ शामिल हों, ताकि इसे आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके। हम एक ही कृषि-जलवायु स्थिति वाले तीन जिलों का एक बार में सर्वेक्षण करना चाहते हैं।
- हम प्राकृतिक खेती तो कर रहे हैं लेकिन ढलान वाले इलाके में हमारे चाय और रबड़ के बागान हैं, जहां हम प्राकृतिक खेती नहीं कर पा रहे हैं. तथापि हम अन्य क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती के क्षेत्र का विस्तार करेंगे।
- हमारे राज्य में ई-नाम बहुत प्रभावी नहीं है। तथापि, हमने असम सीमा क्षेत्र के पास 4 बाजार शुरू किए हैं। एफपीओ और एफपीसी बनाने के लिए हमारे पास किसानों की आबादी भी बहुत कम है। हालांकि, हमने एक जिले में एक एफपीओ बनाया।
- जहां तक नैनो यूरिया का संबंध है, हमने एक जैविक खाद तैयार कर आईसीएआर की विभिन्न प्रयोगशालाओं में उसका परीक्षण कराया है। अगर यह प्रमाणित है, तो हम इसे किसानों को आपूर्ति कर सकते हैं। हम नैनो यूरिया भी आजमाएंगे।
- 1.15 लाख किसानों के लक्ष्य के मुकाबले हमने पीएम-किसान के तहत 99,000 किसानों का लक्ष्य हासिल किया है। हम बाकी किसानों को भी शामिल करेंगे।
- हमारे पास एग्री-इन्फ्रा फंड का प्रावधान है, लेकिन विशेष रूप से फसलोपरांत प्रबंधन में इसकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है। कृषि-इन्फ्रा के बजाय कृपया बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार में हमारी मदद करें। हमारी कुछ अलग समस्याएं हैं। गाय और अन्य घरेलू जानवरों को खुले मैदान में चरने की अनुमति है जिससे फसल को नुकसान होता है और इस वजह से फसलों के क्षेत्र के विस्तार के लिए बाड़ लगाना सबसे महत्वपूर्ण है।
- इसलिए हमें बागवानी क्षेत्र में विशेष रूप से कीवी, अनानास, संतरा आदि के लिए कुछ प्रावधान दिया जाना चाहिए।
- हमें सड़क अवसंरचना संरचना, भूमि विकास और कृषि आदान में सहायता की आवश्यकता है।

VIII माननीय कृषि मंत्री - उत्तराखंड: श्री. गणेश जोशी

- हमने अपनी सभी मंडियों को ई-एनएएम से जोड़ दिया है।

- सेब उत्पादन में जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बाद हमारा तीसरा स्थान है। हमें उत्पादन बढ़ाने के लिए सेब की संकर किस्म का उपयोग करना होगा। हम बागवानी पौधों की कमी का सामना कर रहे हैं। हम और नर्सरी स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने राज्य में बागवानी-पर्यटन को विकसित करने की भी कोशिश कर रहे हैं जैसे कि यूएसए में स्थापित जहां लोग एकल फसल खेतों का दौरा करते हैं। हमने सरकार को बागवानी क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपए का अनुमोदन के लिए भेजा है। हमने सरकार को प्रति "बूंद अधिक फसल" के तहत 99.00 करोड़ रूपए का अनुमोदन के लिए प्रोजेक्ट भी भेजा है।
- हमारा राज्य देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की तरह एक छोटा राज्य है, भारत सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों की तरह "एमओवीसीडीएनईआर" के तहत 100% सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए। हमने सीमा क्षेत्र में अखरोट के पेड़ लगाए हैं। हमें पहाड़ी क्षेत्रों में फल फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना के लिए धनराशि दी जानी चाहिए।

IX माननीय कृषि मंत्री - केरल: श्री. पी प्रसाद

हम आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोगी एकीकरण का लक्ष्य रखते हैं, सेवाओं और पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों के वितरण में तालमेल बिठाते हैं। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार ने कृषि विकास के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार की हैं और लागू कर रही हैं। सरकार सामूहिक दृष्टिकोण से जैविक उत्पादों को लोकप्रिय बनाने और प्रमाणन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं की मदद से कार्यक्रम तैयार कर रही है। अन्य राज्यों के विपरीत, एक गृहस्थ संस्कृति होने के कारण, प्रत्येक घर में खाद्य उत्पादन के लिए योगदान करने के लिए कुछ न कुछ है। यह रियासतों की संरचना में विविधता लाएगा, खाद्य उत्पादन का विकेंद्रीकरण करेगा और आत्मनिर्भरता लाएगा। आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स) में प्रगति का उपयोग करना और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना इस तरह के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए एक और निश्चित कदम है। इन अवधारणाओं के आधार पर, केरल सरकार ने राज्य में डिजिटल कृषि के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए गंभीर कदम उठाए हैं। हमने प्रभावी सेवा वितरण और सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में किसानों को समय पर जानकारी देने के लिए एक वेब आधारित मंच, एमआईएमएस कृषि सूचना प्रबंधन प्रणाली तैयार और विकसित की है। हम एफपीओ के संबंध में भारत सरकार की नीतियों के साथ भी सहमत हैं और फसल के बाद के बुनियादी ढांचे के निर्माण की कल्पना करते हैं और अधिक सहायता के लिए तत्पर हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रम अर्थात् प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना पूरे राज्य में लागू की जा रही है। हालांकि, हमारे राज्य की अधिकांश फसलों की कंपित फसल पैटर्न और बारहमासी प्रकृति जैसी कुछ अड़चनें, कार्यक्रम में निर्धारित कुछ शर्तों के लिए कुछ राज्य विशिष्ट परिशोधन की आवश्यकता होती है।

खेती में क्लस्टर दृष्टिकोण केरल में एक सफल मॉडल साबित हुआ है। कृषि विकास में समूहों की ताकत के आधार पर, राज्य ने केरल में विशेष परिस्थितियों का उपयोग करने के लिए एफपीओ के गठन और पोषण के संबंध में एक नीति तैयार की है, जहां भले ही भूमि जोत खंडित हो, इन भूखंडों की उत्पादन क्षमता में भारत में अन्य राज्यों की तुलना में पूर्ण रूप से बहुत अधिक है। अभी तक भारत सरकार और जीओके के अनुसार

एफपीओ फॉर्मेशन संतोषजनक तरीके से प्रगति कर रहे हैं। हमारे पास वीएफपीसीके (वेजिटेबल एंड फ्रूट प्रमोशन काउंसिल केरलम) के तहत 41 एफपीओ हैं यानी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं; उनमें से बड़ी संख्या में निर्यातक संगठन हैं।

राज्य के एक प्रमुख आदिवासी इलाके अट्टापदी के गांवों में पारंपरिक फसलें जैसे कि मिलेट और फोक्स टेल मिलेट को फिर से पेश किया गया। निर्यात की सुविधा के लिए मिलेट की जैविक खेती को जियो-टैग किया गया है। केरल राज्य कार्बन न्यूट्रल कृषि के साथ आगे बढ़ने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ले रहा है। इस संबंध में, मैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से एक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करने का अनुरोध करता हूं। हमने समुद्र तल से नीचे की खेती में भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है। भारत सरकार नैनो यूरिया क्षेत्र के उपयोग पर एक आक्रामक कार्यक्रम की कल्पना कर सकती है, जो इसे कृषि के लिए इस्तेमाल करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित कर सकता है। केरल को अनानास और मसालों के लिए अलग-अलग बागवानी क्लस्टर आवंटित करना आवश्यक है। इसे फिर से प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है। विशेष रूप से नारियल तेल के स्थानीय उत्पादन को समर्थन देने के लिए वनस्पति तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाना आवश्यक है।

मसालों विशेषकर काली मिर्च और इलायची पर आयात शुल्क भी बढ़ाया जाना चाहिए। प्राकृतिक रबर के मामले में भी यही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। तभी केरल के उन किसानों का जीवन लाभान्वित होगा जो इन क्षेत्रों से संबंधित जीवन व्यतीत करते हैं।

X माननीय कृषि मंत्री - पंजाब: श्री कुलदीप सिंह धालीवाल

पंजाब के माननीय मंत्री ने कहा कि राज्य एक कृषि केंद्र है और राज्य ने कृषि उपज में योगदान दिया है। तथापि, अब किसानों की हालत बहुत खराब है और उन्होंने केंद्र से किसानों का कर्ज माफ करने का अनुरोध किया ताकि वे फिर से खड़े होकर देश के लिए योगदान दे सकें।

उन्होंने अनुरोध किया कि पाकिस्तान के साथ व्यापार फिर से शुरू किया जाना चाहिए। पराली जलाने का मुद्दा बड़ा है और अगर किसान को प्रति एकड़ 2500/- रुपये की सहायता दी जाती है तो, इससे किसान को मदद मिलेगी। इसके लिए केंद्र सरकार से लगभग 1125 करोड़ रुपए की सहायता की आवश्यकता होगी। इसके अलावा, उनके द्वारा कृषि विश्वविद्यालय के लिए निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

XI माननीय कृषि मंत्री- सिक्किम: श्री लोकनाथ शर्मा

सिक्किम के माननीय मंत्री ने कहा कि सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। यह राज्य केंद्र की सभी योजनाओं को डिजिटल कृषि के माध्यम से कार्यान्वित कर रहा है। एफपीओ का पंजीकरण भी प्रगति पर है। राज्य को एआईएफ से सहायता की जरूरत है। यह राज्य मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर योजना का कार्यान्वयन कर रहा है जिसके माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य पशुधन योजना के तहत किसानों को प्रोत्साहन भी देता है। पड़ोसी राज्यों को 70,000 लीटर दूध की आपूर्ति की जाती है। सिक्किम ने केसर के रोपण और अनुसंधान

के लिए जम्मू व कश्मीर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके लिए केंद्र सरकार की सहायता की आवश्यकता है। मधुमक्खी पालन के लिए राज्य ने 2-4 मॉडल तैयार किए हैं।

Xii माननीय कृषि मंत्री-बिहार: श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह

बिहार के माननीय मंत्री ने बताया कि बागवानी में बहुत काम हो रहा है। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म में सक्रिय हैं। 47 लाख किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिए गए हैं। बैंक किसानों की सहायता करने को तैयार नहीं हैं। बैंकों के असहयोग के कारण पीएमएफबीवाई को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया जा सका। सरकार को इन बैंकों पर नियंत्रण करना चाहिए। 12-13 जिलों में गंगा तट के पास जैविक खेती के साथ कृषि के क्षेत्र के प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध किया गया था। प्राकृतिक खेती उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई है। एक सुझाव दिया गया था कि इफको को पद्धतियों का विज्ञापन करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है।

XIII माननीय कृषि मंत्री- गुजरात: श्री राघवजीभाई पटेल

गुजरात के माननीय मंत्री ने बताया कि वे जैविक खेती के लिए किसानों को 900 रुपये का वर्कआउट प्रदान कर रहे हैं। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बिक्री की भी व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार पहले से ही डिजिटल कृषि को कार्यान्वित कर रही है और किसानों को डीबीटी के माध्यम से 2800 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है।

XIV माननीय कृषि मंत्री–त्रिपुरा: श्री प्रणजीत सिंघा रॉय

त्रिपुरा के माननीय मंत्री ने बताया कि उन्होंने राज्य के सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है और कृषि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी कर रहे हैं। भारी बारिश के दिनों में, जब रेल मार्ग बाधित होता है, तो त्रिपुरा को नैनो यूरिया और अन्य उर्वरकों की आपूर्ति करना अधिक महंगा होगा। प्राकृतिक खेती के लिए 5000 हेक्टेयर भूमि का चयन किया गया है और अन्नानास यूरोपीय देशों विशेष रूप से ब्रिटेन और जर्मनी को निर्यात किया जा रहा है। अंतरणकर्ता निर्यात से लाभान्वित हो रहे हैं इसलिए प्रत्येक जिले में टेक हाउस की स्थापना के लिए निधियां प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। किसानों को डीबीटी के जरिए सहायता प्रदान की जा रही है।

XV माननीय कृषि मंत्री-राजस्थान: श्री लाल चंद कटारिया

राजस्थान के माननीय मंत्री ने बताया कि भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। पीएमएफबीवाई के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, और राजस्थान खरीफ फसल के लिए अधिकतम बीमा पॉलिसी जारी करने वाला पहला राज्य है। वर्ष 2021-22 तक 274 एफआरओ का गठन किया गया है और अन्य 122 एफआरओ को मंजूरी दी गई है। सभी 145 मंडी समितियों को ई-नाम से जोड़ा गया है। एआईएफ के तहत 753 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। पीएमएफबीवाई के तहत बैंकिंग प्रणाली के कारण 1.1 लाख मामले लंबित हैं। राज्य कृषि अवसंरचना कोष के तहत 2 करोड़ रुपये के ऋण पर 50% राजसहायता प्रदान कर रहा है। बाडमेर जिले में खजूर के पौधे का उत्पादन होता है, लेकिन खजूर के पर्याप्त पौधे नहीं हैं।

XVI माननीय कृषि मंत्री–हिमाचल प्रदेश: श्री वीरेंद्र कंवरो

हिमाचल प्रदेश के माननीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण कृषि की सीमाएं हैं, हालांकि राज्य ने फल और सब्जियों के उत्पादन में प्रगति की है। राज्य देश में सेब का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। राज्य केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा-निर्देशों का पालन कर रहा है। यह सम्मेलन कृषि क्षेत्र में एक

नई राह दिखाएगा। राज्य प्राकृतिक खेती, एकीकृत खेती और फसल विविधीकरण को महत्व दे रहा है। आईसीएआर की मदद से दालचीनी और ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। दालचीनी के करीब 40,000 पौधे पंजाब की सीमा पर लगाए गए हैं। हिमखंड पर हींग व केसर का पौधरोपण किया जा रहा है।

पहले दिन की कार्यवाही का समापन: श्री कैलाश चौधरी, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री और श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की टिप्पणियों के साथ दिन की कार्यवाही का समापन किया गया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी ने कहा कि बैठक के बाद हम मंत्रालय में सोचेंगे कि राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों को कैसे कार्यान्वित किया जाए और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने पीपीपी मोड और केसीसी के लिए अभियान का जिक्र किया। कैसे कोविड के दौरान 3 करोड़ किसान जुड़े। हम एफपीओ को कैसे लागू कर सकते हैं और किसान सम्मान निधि में हम पोर्टल के संबंध में किसानों को कैसे आगे लाते हैं। उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम और किसानों की आय दोगुनी करने की भी बात की।

श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने दिन के समापन का भाषण देते हुए कहा कि राज्यों की उपलब्धियों और गतिविधियों से अच्छे सुझाव मिले हैं और उन सभी को धन्यवाद दिया गया। सुझावों को नोट कर लिया गया है और कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस तरह के मंच हमेशा फायदेमंद होते हैं। यह एक दूसरे को समझने और सीखने का अवसर देते हैं। कृषि उत्पादों और उर्वरकों के प्रसंस्करण के विषय में जागरूकता की कमी है जिसके लिए विभिन्न मंत्रालय हैं। एफपीओ चाहे तो 2 करोड़ तक का ऋण और 3% की छूट देकर खाद्य प्रसंस्करण कर सकते हैं। वे मिनी फूड पार्क भी जा सकते हैं। 35 करोड़ और 50% राजसहायता की सीमा है। इसकी जानकारी सभी को होनी चाहिए। मशरूम की खेती किसान को करोड़पति बनाती है। केवीके की बजट सीमाएं हैं। केवीके और एटीएमए को राज्य स्तर पर जोड़ा जाए। एटीएमए के पास संसाधन हैं और केवीके के पास ज्ञान है। आज खेती की परिभाषा बदल रही है। समस्या छोटी खेती की है। इन 86% किसानों को हमारी योजना/योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए। जब हम कृषि विकास के बारे में सोचते हैं तो उपरोक्त बातों से हमारा ध्यान हट जाता है। नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए। डिजिटलीकरण से किसानों में क्रांति आएगी। बीजों के संबंध में एनएससी और राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिए। एफपीओ की निगरानी और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। छोटे किसानों को आपस में जुड़ना चाहिए ताकि स्व-सहायता समूह की तरह जोत बढ़े।

<u>दिवस-2 : दिनांक:15.07.2022</u>

सुश्री शोभा करांदलाजे, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने दूसरे दिन, अर्थात दिनांक 15.07.2022 को सत्र का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि जब से यह सम्मेलन शुरू हुआ है, तब से अच्छी और सूचनात्मक चर्चा हुई है। बेंगलुरु अच्छी व समृद्ध संस्कृति और विरासत वाला स्थान है। राज्य के मंत्रियों को अपने संबंधित राज्यों की कृषि स्थिति के बारे में जानकारी प्रस्तुत करते हुए और उनकी चुनौतियों पर खुलकर चर्चा करते हुए देखकर अच्छा लगा। वर्ष 2013-14 में कृषि बजट 22,000 करोड़ रुपए था; अब यह 1,32,000 करोड़ रुपए हो गया है। आज के सत्र में राज्य अपनी सफलता की कहानियां प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद चर्चा करेंगे। पिछले एक वर्ष में अपनी यात्रा के दौरान जब मैंने किसानों से कृषि योजनाओं के बारे में पूछा, तो जवाब ज्यादातर किसानों को दी जाने वाली राजसहायता के बारे में था। सरकार द्वारा किसानों और व्यापक परिणाम प्राप्त करने के लिए बनाई गई सभी योजनाओं और प्रावधानों के बारे में किसानों को सूचित/शिक्षित करना महत्वपूर्ण है जिसे कृषि/उपज और संबद्ध क्षेत्रों से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमें सभी किसानों को अच्छा मार्जिन प्राप्त करने, कृषि विपणन, कृषि-निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने, क्षमता निर्माण और प्रारंभिक सहायता के बारे में सोचना होगा जिसके लिए तौर-तरीकों को आगे लाया जाना है। कार्यान्वयन गतिविधियों को जिला स्तर पर, फिर

राज्य स्तर पर और फिर राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जाना है। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि और विपणन क्षेत्रों (अपेडा) के बीच एकीकरण लाना- जैसे शीतागार, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन (एपीएमसी) के बारे में किसानों को शिक्षित करना। विभिन्न फसलों एवं कृषि यंत्रों के दैनिक मंडी मूल्यों की अद्यतन सूचना संबंधित विभागीय पोर्टलों पर सकारात्मक रूप से पोस्ट की जानी चाहिए। सभी राज्यों को तिलहन, खाद्यान्न और दूध के आत्मनिर्भर उत्पादन के बारे में सोचना होगा। मैं सभी राज्यों से अनुरोध करती हूं कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष- 2023 के संदर्भ में मिलेट को सभी रूपों में बढ़ावा दिया जाए। मैं सभी जिलों से योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी जिला कृषि योजना तैयार करने का अनुरोध करती हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन को साकार करने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार को मिलकर काम करना चाहिए।

मैं सभी राज्य मंत्रियों को सम्मेलन में भाग लेने और उनके बहुमूल्य सुझाव देने हेतु समय देने के लिए धन्यवाद देती हूं।

(i) डीएएंडएफडब्ल्यू के विषयगत विषयों पर शेष प्रस्तुतीकरण

11. पीएम-किसान सेचुरेशन पर प्रस्तुति - संयुक्त सचिव: श्री प्रमोद कुमार मेहरदा

- पीएम-किसान योजना की शुरूआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी।
- यह योजना किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में 6000 रूपए प्रति वर्ष की राशि प्रदान करके मौसम के आधार पर कृषि क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- अब तक 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2.02 लाख करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
- पीएम-किसान के मुद्दे -
  - क) योजना के तहत पात्र किसानों का सेचुरेशन
  - ख) अपात्र किसानों का बहिष्कार।
  - ग) कुछ किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होने की संभावना है कि उनके नाम पर लाभ लिया जा रहा है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षा-
  - क) मंत्रालय ने राज्यों से जुलाई 2022 के अंत तक प्रत्येक लाभार्थी की एक भूमि आईडी प्रदान करने का अनुरोध किया है।
  - ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को राज्यों द्वारा प्रदान किए गए खसरा/सर्वेक्षण संख्या की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए मंत्रालय को सक्षम करने हेतु भूमि रिकॉर्ड, एपीआई प्रदान करने की आवश्यकता है।
- भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम-

क) गलत बैंक खाते में पैसे जाने से बचने के लिए भुगतान प्रणाली को वित्तीय पते के रूप में 'आधार' में अंतरित कर दिया गया।

ख) परिवार के एक से अधिक सदस्यों को लाभ मिलने की संभावना की जांच करने के लिए "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" डेटाबेस के साथ एकीकरण।

ग) ई-केवाईसी शुरू किया गया। 31 जुलाई 2022 तक पूर्ण किया जाना है।

घ) लाभार्थियों को जागरूक किया जाएगा कि उन्हें लाभ मिल रहा है।

ड.) मृत लाभार्थी या हितग्राही जो रुचि नहीं रखते हैं, उन्हें बाहर रखा जाएगा।

च) प्रगति: 54.16% लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूर्ण हुआ

माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: पहले हम 1.2.2019 के लक्ष्य को पूरा करेंगे। फिर दूसरे चरण में हम अन्य पर विचार करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर हम तारीख बढ़ाएंगे।

मिलेट पर माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री की टिप्पणी: हम सभी मिलेट के पौष्टिक मूल्य से भली भांति परिचित हैं। हमारे खाने की थाली में मिलेट की जगह चावल और गेहूं ने ले ली है। कोविड के दौरान हमने इसके महत्व को समझा। मिलेट हमारा उत्पादन है और हमारे भोजन में आवश्यक है। हम इसका उत्पादन और उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत इसका नेतृत्व करेगा और 72 से अधिक देश इसमें शामिल होंगे। इसमें सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के सभी विभागों जैसे आंगनबाडी**,** नवोदय विद्यालय**,** आम जनता**,** खाद्य प्रसंस्करण आदि में भाग लेना है। इसकी पूरी रूपरेखा है और मुख्यमंत्री इसका नेतृत्व कर रहे हैं लेकिन कृषि मंत्रियों को मिलेट पर प्रस्तुति को ध्यान से सुनना होगा।

12. अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष पर प्रस्तुति - संयुक्त सचिव: श्रीमती शुभा ठाकुर

- संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को 72 देशों के समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है।
- भारत सरकार इसे लोगों का आंदोलन बनाकर आईवाईओएम, 2023 को मनाएगी।
- मिलेट का उत्पादन 131 देशों में किया जाता है तथा एशिया और अफ्रीका में 59 करोड़ लोगों का यह पारंपरिक भोजन है।
- आईवाईओएम 2023 के लिए भारत सरकार के प्रारंभिक कदम -
  - क) आईआईएमआर के लिए 395.30 लाख रुपये के पोषक अनाज के स्वास्थ्य लाभों को स्थापित करने के लिए एक व्यापक अध्ययन को मंजूरी दी गई है।
  - ख) "एक देश एक उत्पाद" (ओसीओपी) के उत्पाद के रूप में अनुशंसित मिलेट
  - ग) भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) को नोडल संस्थान के रूप में नामित किया गया है।
  - घ) आईवाईओएम 2023 के लिए नॉलेज पार्टनर अर्ध-शुष्क के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी) है।

- घरेलू आउटरीच-
  - क) आजादी का अमृत महोत्सव का अभिन्न अंग
  - ख) छात्रों/युवाओं की भागीदारी: साइक्लोथॉन, मैराथन, हैकाथॉन
  - ग) स्टार्टअप चुनौतियां (मशीनीकरण, आपूर्ति श्रृंखला और रसद)
  - घ) फसलोपरांत, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन
  - ई) खाद्य त्यौहार: मिलेट नुस्खा जागरूकता - महीने का मिलेट
  - च) कुकिंग वर्कशॉप और प्रतियोगिताएं
  - छ) मिलेट निर्यात प्रोत्साहन- एपीडा कार्यशालाएं; ब्रांडिंग पर जोर

- राज्यों द्वारा किए गए क्रियाकलाप -
  - क) सप्ताह में एक बार आईसीडीएस के माध्यम से मिलेट का वितरण
  - ख) प्रत्येक राज्य प्रदर्शन के लिए एक केंद्रित बाजरे को अपनाएगा।
  - ग) मिलेट उत्पादक जिलों में होने वाले कार्यक्रमों में पंचायतों/यूएलबी को शामिल किया जाएगा।

घ) मिलेट के प्रचार-प्रसार के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर सम्मेलन।

ङ) भारत के कोने-कोने में पोषक-अनाज पर उत्कृष्टता के केंद्र स्थापित करना - उद्योगों को इन केंद्रों से जोड़ना।

च) सभी राज्यों में 7 सूत्र अपनाया जाना।

(ii) मिजोरम के माननीय कृषि मंत्री श्री सी.लालरिनसंगा द्वारा संबोधन

मिजोरम एक पहाड़ी इलाके में स्थित है तथा अन्य राज्यों के विपरीत जहां फसल उत्पादन के लिए संभावित समतल भूमि उपलब्ध है, इसमें गीली चावल की खेती के लिए सीमित संभावित समतल भूमि है। कठिन स्थलाकृति के कारण मिजोरम के कई किसान अभी भी अपनी आजीविका के लिए झूम खेती कर रहे हैं। मिजोरम में तीन अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्र हैं - नम हल्के उष्णकटिबंधीय पहाड़ी क्षेत्र, आर्द्र उप-उष्णकटिबंधीय पहाड़ी क्षेत्र और आर्द्र शीतोष्ण उप-अल्पाइन क्षेत्र और 28 ब्लॉक वाले 11 जिले। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता से, मिजोरम राज्य सरकार ने कृषि के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया है। किसानों को बीज, अन्य इनपुट और फार्म मशीनरी के लिए सब्सिडी सहायता प्रदान की जाती है। राज्य विभाग वर्तमान में केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। **प्राकृतिक खेती:** राज्य में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की खपत नगण्य है। जैव-उर्वरक के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, राज्य सरकार ने तालक आधारित वाहक जैव-उर्वरक का उत्पादन करने के लिए राज्य प्रमुख कार्यक्रम के माध्यम से पहल की है। **विपणन- एफपीओ और ई-नाम:** 10,000 एफपीओ योजनाओं के तहत, चार (4) कार्यान्वयन एजेंसियों को विभिन्न जिलों में विभिन्न वस्तुओं के लिए 18 एफपीओ बनाने के लिए चुना जाता है। उनमें से कई ने एफपीओ में निगमन पूरा कर लिया है और उनमें से कुछ ने एफपीसी के रूप में पंजीकरण पूरा कर लिया है। इन एफपीओ/एफपीसी को ई-नाम में शामिल करने से कई किसानों को अपने कृषि उत्पादों के विपणन में सहायता मिलेगी। **यूरिया उर्वरक - नैनो यूरिया और जैव-उर्वरक:** मिजोरम के किसानों के समक्ष आने वाली समस्याओं में से एक उर्वरक विशेष रूप से डीएपी और एमओपी की समय पर उपलब्धता है। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष राज्य को उर्वरक आवंटन दिया है। तथापि, पिछले तीन वर्षों से मिजोरम के किसान अपनी आवश्यकताओं के अनुसार डीएपी और एमओपी की आवश्यकता को पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। जैव-उर्वरक के संबंध में, हमें जैव-उर्वरकों के देशी उपभेदों (स्ट्रेन) की पहचान करने की आवश्यकता है जो मिजोरम की अम्लीय मिट्टी की स्थिति में जीवित रह सकते हैं और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हमें इस क्षेत्र में आईसीएआर के वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता की आवश्यकता है। भारत सरकार जैव उर्वरकों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने में राज्य विभाग की भी सहायता प्रदान कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में विपणन किए गए जैव उर्वरक प्रभावी हैं और न्यूनतम गुणवत्ता मानकों का अनुपालन जारी है। **ऑयल पाम की खेती:** ऑयल पाम की खेती एक ऐसा क्षेत्र है जहां राज्य ने कुछ उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। हमने वर्ष 2004 से राज्य में ऑयल पाम की शुरुआत की है और अब हमारे पास ऑयल पॉम की खेती के तहत 24000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र मे है। नवीनतम सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मिजोरम में ऑयल पॉम की खेती के लिए लगभग 60,000 हेक्टेयर संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। मिजोरम में ऑयल पाम बीज उद्यान की स्थापना में राज्य सरकार की सहायता के लिए मिजोरम सरकार भारत सरकार की बहुत आभारी है।

मिजोरम में स्थायी कृषि के लिए सीमित संभावित समतल भूमि है। इन संभावित क्षेत्रों को विभिन्न स्थानों में भी वितरित किया जाता है। खेती को अधिक कुशल और अधिक लाभकारी बनाने हेतु इन संभावित क्षेत्रों को जोड़ने के लिए अच्छी कृषि लिंक सड़कों की स्थापना की आवश्यकता है क्योंकि कई

क्षेत्र बहुत पहाड़ी इलाके में हैं। ऑयल पाम में अधिक प्रगति नहीं होने का मुख्य कारण खराब कनेक्टिविटी भी है क्योंकि ऑयल पाम रोपण एक अच्छे कृषि लिंक रोड से नहीं जुड़े हैं जिससे एफएफबी के वाष्पोत्सर्जन में बाधा उत्पन्न होती है।

राज्य में कई समतल भूमि उपलब्ध हैं जिन्हें फसल की खेती के लिए विकसित किया जा सकता है। अभी तक केवल 17,000 हेक्टेयर संभावित समतल भूमि का उपयोग गीले चावल धान की खेती के लिए किया गया है, जहां से राज्य की 30% चावल की आवश्यकता के लिए कृषि की जाती है। 30,000 हेक्टेयर से अधिक समतल भूमि हैं जो फसल की खेती के लिए अनुपयोगी हैं क्योंकि ये क्षेत्र ठीक से समतल और विकसित नहीं हैं। यदि अधिक संभावित क्षेत्रों को खेती के तहत लाया जा सकता है, तो फसल उत्पादन में भी वृद्धि होगी। भूमि समतलन और भूमि विकास के माध्यम से खेती के तहत लाने के लिए संभावित समतल भूमि का पता लगाने के लिए भारत सरकार से विशेष विचार की आवश्यकता है। **नए बनाए गए जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना:** राज्य में 11 जिले और 8 केवीके पहले से ही स्थापित हैं और शेष तीन जिलों में केवीके नहीं है। यह अच्छा होगा यदि भारत सरकार तीन और केवीके स्थापित कर सके क्योंकि केवीके से कई प्रौद्योगिकियां आ रही हैं।

(iii) विषयगत विषयों पर राज्यों द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों पर तकनीकी सत्र और प्रस्तुतियाँ/ वीडियो फिल्म

I. उत्तर प्रदेश राज्य: नए युग का उर्वरक

- यूपी में उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियां और कार्यनीतियां
- 3 लेग्स ऑफ स्टूल, और एक उर्वरक है।
- 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों के साथ उत्तर प्रदेश - चौथा सबसे बड़ा देश (25 करोड़ जनसंख्या) ।
- राज्य द्वारा की गई कार्यनीतियां-
    - दैनिक रिपोर्टिंग - सूक्ष्म प्रबंधन के लिए। डायवर्सन लागू करने के लिए 3 चीजें।
    - उद्योग, क्रॉस बॉर्डर डायवर्जन (नेपाल सीमा के 600 किमी)। नेपाल के पास 9 जिले।
    - स्टॉक का दैनिक सत्यापन। टीम स्टॉक की जांच करती है। जिला प्राथमिकता - पिछले उपयोग और पिछले अनुभव के आधार पर।
    - महत्वपूर्ण जिलों को चिह्नित किया गया।
    - 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं। यह निवारक के रूप में कार्य करता है। डीसी फीलड में सहायक है। नोडल अधिकारी- संकट की स्थिति में।
    - आईटी सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण हैं। फील्ड स्टाफ जागरूकता महत्वपूर्ण है।
- प्रति दिन खरीदारों का रिकॉर्ड। शीर्ष 20 खरीदारों की जाँच की गई, और सत्यापन किया गया।
- नैनो यूरिया - किसान परीक्षण किया गया। दक्षता और उपयोग बहुत प्रभावी रहा है। फील्ड ट्रायल में 7% उपज वृद्धि देखी गई।

- किसानों ने इफको की 40 लाख बोतलों का इस्तेमाल किया। आयात सब्सिडी 2000 करोड़ रुपये की बचत।

II महाराष्ट्र राज्य: पीएमएफ़बीवाई

- पीएमएफबीवाई - महाराष्ट्र अग्रणी चरण पर रहा है। प्रति वर्ष 1 करोड़ आवेदन पंजीकरण। गैर ऋणी नामांकन के लिए सीएससी। पीएमएफ़बीवाई के साथ समेकित भूमि रिकॉर्ड से मदद मिली।
- औसत प्रीमियम दर 23% से घटाकर 15% कर दी गई। भूमि रिकॉर्ड के साथ कागज रहित दावा।
- रिमोट सेंसिंग को शामिल करके महा कृषि-तकनीक। हमारे सुदूर संवेदन आधारित बुवाई के पूर्वानुमान में विचलन 5% से कम है।
- मानव हस्तक्षेप मुक्त प्रणाली।
- रिमोट सेंसिंग से सोयाबीन की उपज का आकलन। 80% सटीकता।
- सीसीई पेश करने का विकल्प जो श्रमसाध्य है। उपज अनुमान = 90% सीसीई और 10% रिमोट सेंसिंग आधारित। समय के साथ हम उपयोग बढ़ाएंगे।
- मौसम डेटा प्रत्येक 10 मिनट में वास्तविक समय में उपलब्ध होता है ।

III नागालैंड राज्य: प्राकृतिक खेती

- झूम भूमि धारण प्रणाली
- समेकित सेरो खेती
- नागा राजा मिर्च
- नागा समेकित व्यवस्थित खेती एक संपूर्ण कृषि प्रबंधन प्रणाली।
- गैर-बरसात के मौसम में पीने के लिए भी बहुत कम पानी।
- **बोक बोत्सा, कोहिमा - पायलट**
  1 क्लस्टर = 50 हेक्टेयर
  1 क्लस्टर = 50 किसान परिवार
  प्रति क्लस्टर 3.65 करोड़ रुपये।
- प्राकृतिक प्रणाली को अपनाएं करें और सभी मौसमों में आप फसल काट सकते हैं।

IV तमिलनाडु राज्य: एफपीओ

- खेती की लागत में वृद्धि
- फाल्कोपरांत उच्च पराभव
- वे उत्पादन करने वाले हैं और उन्हें बेचने नहीं देंगे। यहीं यहीं यहीं□□□□□□□□□□□□
- में 903 380 राज्य राज्य, नाबार्ड 259, स्वयं = 163। एफ के विज्ञापन के लिए विशेष नीति

• मूल्य वृद्धि के लिए सहायता – मिलन, बील्स असेसमेंट, मिलिटेंट सेंटर।

• समुच्चय की खेती की कैपेशन- 20 कृषि हित समूह (एफ़एफ) के रूप में समूहीकृत किया गया।

• 5 एफ़फ़ीजी विशेष है, और फिर 8 से 10 फ़फ़ीजी एक ए फ़ फ़ फ़ायदे से लैस है।

• 43% से अधिक खर्च में 1 करोड़ से अधिक

V हरियाणा सरकार: बागवानी

• वर्ष 2050 तक फलों/सब्जियों की मांग दोगुनी हो जाएगी
बागवानी के लिए क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण

• 100 से अधिक बागवानी समूहों की पहचान की गई

• क्लस्टरों के शुभारंभ की योजना बनाई जा रही है। 10 लाख किसानों को लाभ की उम्मीद

• इससे एसडीजी 12 का लक्ष्य प्रभावित हुआ

• कार्यक्रम केवल एफपीओ के लिए है

• वर्ष 2019 में पीएमयू

VI कर्नाटक सरकार: डिजिटल कृषि

• फसल सर्वेक्षण

• 10 कृषि आर्थिक क्षेत्र

• फल - 78 लाख

• भूमि - फलों से जुड़ी

• डिजिटाइजेशन 78 लाख - 62 लाख भूमि के साथ और 16 लाख बिना भूमि के

• फसल सर्वेक्षण - 200 लाख भूखंड

• जीआईएस मैपिंग

• आजीवन पंजीकरण में एक बार एफ.आई.डी.

• संपर्क रहित कागज रहित रिकॉर्डिंग और बंधक मुक्त करना

VII तेलंगाना सरकार: पीएम-किसान

• पीएम किसान के साथ भूमि का लिंकेज

• भूमि अभिलेख पोर्टल, डीबी परिमार्जन। क्षेत्र स्तरीय सत्यापन। 5000 एकड़ 1 एओ, सत्यापन के लिए लॉगिन करें।

• 3 समूहीकरण

परिवार में एकल पट्टादार

परिवार में बहु पट्टादार –

बिना राशन कार्ड वाला पट्टादार।

VIII ओडिशा सरकार: मिलेट

- ओडिशा मिलेट मिशन
- समुदाय आधारित बीज प्रणाली
- उन्नत कृषि विज्ञान पद्धतियों के तहत वर्ष 2021-22 के दौरान 54000 हेक्टेयर को कवर करने वाली प्रोत्साहन सहायता से 1.81 लाख किसान लाभान्वित हुए
- मिलेट को पंक्तियों में बोया जाता है जो अधिक उत्पादन में मदद करता है
- पौधे की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हंडीखाता का प्रयोग किया जाता है
- प्रति किसान प्रति परिवार उपज का मूल्य 3957 रुपये से 12486 रुपये बढ़ गया।
- एफईएस द्वारा प्रदान की गई मिलेट प्रसंस्करण मशीनें

IX मध्य प्रदेश/आंध्र प्रदेश सरकार: कृषि अवसंरचना कोष

- 2800 करोड़, धनराशि वितरित।
- एसएलएमसी/डीएलएमसी निगरानी
- एआईएफ के लिए राज्य नोडल अधिकारी
- संभावित लाभार्थी लक्ष्य –
  वेयरहाउस/कोल्ड ओनर्स
- जागरूकता - रेडियो
- समन्वय
- आरबीके - 10,778 - वन स्टॉप सेंटर।
- ई-फसल डेटा
- आरबीके पर आधारित सभी कार्यक्रम।

(iv) चर्चा के लिए सत्र: निम्नलिखित राज्यों ने अपने विचार व्यक्त किए:-

- **असम:**

असम सरकार ने बताया कि एमओएचआरडी (शिक्षा) के माध्यम से असम मिलेट मिशन - पोषण अभियान लागू किया जा रहा है । फसल विविधीकरण के लिए मिलेट फसलों के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आवश्यकता होती है। भूमि डिजिटलीकरण में कुछ समय लगेगा और जुलाई तक पूरा नहीं होगा। पीएम - किसान में एक पहले से चल आ रहा मुद्दा है क्योंकि केंद्र से इस तरह की छूट का अनुरोध किया गया है। यह अधिसूचना मुद्दा है।

- **छत्तीसगढ़:**

छत्तीसगढ़ सरकार ने बताया कि फसल विविधीकरण से दलहन और तिलहन को बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है। राज्य में सिंचाई एक प्रमुख

मुद्दा है और इसके लिए बहुत कुछ किया जाना है। चाय-कॉफी के बागानों में काफी संभावनाएं हैं, जिसके लिए सरकार को केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की जरूरत है। इसी तरह लाख की खेती में भी काफी संभावनाएं हैं, इसे भी पीएमएफ़बीवाई में शामिल किया जा सकता है। पीएफएमबीवाई के तहत स्थानीय जोखिम को कवर किया जा सकता है जैसे कि रबी में बारिश के कारण नुकसान। राज्य गाय के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट भी बना रहा है, इससे जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। पोषक अपशिष्ट सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए । प्रदेश के 5 जिले बागवानी में काफी काम कर रहे हैं। किसानों के प्रशिक्षण के लिए और दिशा-निर्देश मांगे गए हैं।

- **राजस्थान:**

मिलेट की खरीद के लिए अच्छी नीति होनी चाहिए। पश्चिम राजस्थान में उत्पादकता पूर्व की तुलना में आधी है। यहां मिलेट केंद्र होना चाहिए। प्राकृतिक खेती के संबंध में इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि किसान रसायन की ओर वापस क्यों गए।

- **केरल:**

पीएम - किसान में डाटा बेस के डिजिटलीकरण के लिए सितंबर तक का और समय चाहिए। वित्त मंत्रालय के परामर्श से पीएफएमएस मुद्दों को सुलझाया जाना है। जितना हो सके वैल्यू एडिशन होना चाहिए।

- **आंध्र प्रदेश**

गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। छोटे मिलेट के लिए एमएसपी होना चाहिए और उनके लिए प्रसंस्करण संयंत्र भी होना चाहिए। एफपीओ के लिए राज्य को कार्यान्वयन एजेंसी होना चाहिए। टेंडर आदि के संबंध में ड्रोन की खरीद के लिए सहायता की आवश्यकता है।

- **मणिपुर**

मणिपुर में पारंपरिक विस्थापन खेती है। जंगल नीचे गिरते हैं, जलते हैं। समस्या से निपटने के लिए, हस्तक्षेप के लिए विशाल कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। सीढ़ीदार खेती के लिए वैकल्पिक भूमि मार्ग की आवश्यकता होती है। यह ग्रीन एरिया है। सीएम पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिख चुके हैं। आम जैसे बागवानी और इसके निर्यात की अच्छी गुंजाइश है। राज्य के बाहर के लोग मणिपुर के उत्पादों को पसंद करते हैं। हालांकि, स्वदेशी उत्पादों के लिए योजनाओं/परियोजनाओं के लिए निरंतर समर्थन की आवश्यकता है।

सम्मेलन से निर्गत निष्कर्ष कार्रवाई बिंदु **अनुबंध- I** पर हैं

सम्मेलन का निष्कर्ष:

सम्मेलन की कार्यवाही का समापन सुश्री शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (ए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा किया गया था। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री श्री भगवंत खुबा ने अपनी समापन टिप्पणी और धन्यवाद ज्ञापन दिया। उन्होंने संबोधित किया कि कृषि एवं किसान

कल्याण मंत्रालय द्वारा दो दिवसीय सम्मेलन को प्रभावी ढंग से और सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है और यह सार्थक रूप से समाप्त हो रहा है। 12 विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं और सभी ने अपने-अपने विषय साझा किए। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले दिनों में किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश ने अपने राज्य में अगले सम्मेलन के लिए अनुरोध किया है। अधिकारियों, कार्यकर्ताओं, मीडिया और सभी ने बहुत ही खूबसूरती से इसका आयोजन किया है। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए सभी अपने-अपने राज्यों में काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें छोटे-छोटे विषयों पर प्रोत्साहित किया है। उन्होंने शुभकामनाओं के साथ समापन किया। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्मेलन का समापन हुआ।

अनुबंध-I

राज्य सरकारों के साथ चर्चा से निकले कार्रवाई बिंदु

राज्य	कार्रवाई के बिंदु	प्रभाग/मंत्रालय/विभाग
उत्तर प्रदेश	रागी बीज के लिए अनुरोध	बीज प्रभाग
	पीएमएफ़बीवाई के तहत किसानों द्वारा किए गए दावों के शीघ्र निपटान का अनुरोध	ऋण प्रभाग
	सब्जियों के मामले में - 5% प्रीमियम कम किया जा सकता है	बागवानी
	दलहन-तिलहन अंतरफसल योजना लाने का अनुरोध ताकि गन्ने का क्षेत्र कम किया जा सके	फसल
	बागवानी फसलों के लिए प्रजनक बीज की मांग	बीज
	ईकेवाईसी की तारीख 31.7.22 से बढ़ाकर 15.8.22 की जाए	परिवार कल्याण
अरुणाचल प्रदेश	भूमि ,फसल ,मृदा आदि सभी गतिविधियों का सामूहिक सर्वेक्षण करने का अनुरोध	आईएनएम/भूमि संसाधन विभाग
	बागवानी फसलों के क्षेत्र विस्तार में सहायता जिसके लिए बाड़ लगाना सबसे महत्वपूर्ण है	बागवानी
	सड़क की अवसंरचना, भूमि विकास और कृषि आदानों में मदद के लिए अनुरोध	सभी डिवीजन/एमएचए/ सड़क और परिवहन मंत्रालय
	एक ही कृषि जलवायु वाले 3 जिलों का एक बार में सर्वे	डीईएस
	बागवानी क्षेत्र में विशेष रूप से कीवी, अनानास, संतरा आदि के लिए प्रावधान	बागवानी
आंध्र प्रदेश	134 परीक्षण प्रयोगशालाएं। गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना	एम एंड टी / बीज

	पीएम-किसान की 2 किश्त खरीफ की शुरुआत से पहले और रबी की शुरुआत से पहले देने का अनुरोध	परिवार कल्याण
	लघु मिलेट और उनके लिए प्रसंस्करण संयंत्रों के लिए एमएसपी	सीएसीपी
	राज्यों को भी एफपीओ के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होना चाहिए	विपणन
	ड्रोन की खरीद के लिए सहायता की आवश्यकता है - खरीद कैसे करें और निविदा प्रक्रिया	एम एंड टी
पंजाब	सीमा क्षेत्र में कृषि इनपुट में सहायता के लिए अनुरोध (14000 एकड़)	एमएचए
	पाकिस्तान व्यापार खोला जाना चाहिए	व्यापार
	सब्जियों हेतु कोल्ड स्टोरेज के लिए 1000 करोड़ का आवंटन	बागवानी
	पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किसानों को 2500 रुपए प्रति एकड़ सहायता प्रदान की जा सकती है	एम एंड टी डिवीजन
	कपास पर उड़ते समय नियंत्रण करने के लिए कीटनाशकों के छिड़काव में वृद्धि के लिए किसानों को सब्सिडी	एनएफएसएम/पीपी डिवीजन
	किसानों का कर्ज माफ किया जाए	ऋण
	कृषि से संबंधित कार्यों के लिए कृषि विश्वविद्यालय के लिए निधि	डेयर
	जल स्तर नीचे चला गया है जिसके लिए फंड की आवश्यकता है	आरएफएस
सिक्किम	केसर पर विशेष मिशन के लिए समर्थन	बागवानी
	मधुमक्खी पालन के मॉडल लागू किए जा सकते हैं	शहद मिशन
	राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान एवं विकास केंद्र की स्थापना के लिए सहायता की आवश्यकता है ताकि फसल खेत से	डेयर

	प्रयोगशाला तक पहुंचे	
	मशरूम प्रोजेक्ट का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है	बागवानी
	केसर की खेती के लिए कश्मीर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और शोध किया गया है। केंद्र सरकार की सहायता आवश्यक है।	बागवानी
केरल	भारत सरकार नैनो -यूरिया के उपयोग पर एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की कल्पना करेगी	उर्वरक विभाग/आईएनएम प्रभाग
	अनानास और मसालों के लिए अलग से बागवानी क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध	बागवानी
	वनस्पति तेलों और मसालों पर आयात शुल्क बढ़ाने का अनुरोध	व्यापार/फसल/तिलहन
	पर्यावरण और वन मंत्रालय के परामर्श से कार्बन न्यूट्रल कृषि के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक रूपरेखा तैयार करने के लिए एक सामान्य प्रोटोकॉल विकसित करना।	एनआरएम / पर्यावरण और वन मंत्रालय
	जितना हो सके मूल्यवर्धन	सभी प्रभाग
	पीएम-किसान के लिए सितंबर 2022 तक का अतिरिक्त समय	परिवार कल्याण
	पीएफएमएस मुद्दों को सुलझाया जाएगा	वित्त मंत्रालय/आईएफडी
उत्तराखंड	बागवानी पौधों की कमी	बागवानी
	एमओवीसीडीएनईआर के तहत 100% सब्सिडी के लिए अनुरोध	आईएनएम
	सेब के पेड़	बागवानी
	अखरोट के लिए विशेष कोष	बागवानी
	पहाड़ी क्षेत्रों में फल फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज की स्थापना हेतु धनराशि	बागवानी

	बागवानी क्षेत्र के लिए 200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है	बागवानी
	"प्रति बूंद अधिक फसल" के तहत 99 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए भारत सरकार को भेजा गया	आरएफएस

बिहार	बैंक किसानों की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए बैंकों के असहयोग के कारण पीएमएफबीवाई को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। सरकार द्वारा इन बैंकों को नियंत्रित करना चाहिए।	क्रेडिट
	गंगा के किनारे कृषि के लिए क्षेत्र के प्रमाणीकरण का अनुरोध	आईएनएम
	प्राकृतिक खेती में तेजी नहीं आई	आईएनएम
	इफको पद्धतियों का विज्ञापन करेगा	आईएनएम
	बैंकों के असहयोग के कारण पीएफएमबीवाई को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सका। सरकार द्वारा इन बैंकों को नियंत्रित करना चाहिए।	क्रेडिट
	सरकार द्वारा 12-13 जिलों में गंगा नदी के तट पर जैविक खेती का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए।	आईएनएम
पुदुचेरी	एमएसपी खरीद के लिए प्रति किसान सीमा बढ़ाने का अनुरोध	सीएसीपी
	बीमा कंपनियों का गैर निष्पादन	क्रेडिट

	मिलेट के वस्ताविक क्षेत्र में वृद्धि	क्रॉपस
गुजरात	प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 900 रुपये प्रति गाय प्रति माह दिया जाता है।	आईएनएम
त्रिपुरा	नैनो यूरिया की आवश्यकता	आईएनएम
	उर्वरक की आवाजाही में टैरिफ का समर्थन	आईएनएम
	जलमग्न धान की फसल के लिए बीमा कवर	आईएनएम
	बागवानी के लिए प्रत्येक जिले में टेक हाउस की स्थापना हेतु राशि	बागवानी
राजस्थान	अनुसंधान दल (जैतून के लिए) भेजा जाएगा क्योंकि तकनीकी समस्या के कारण पौधे में कम ही फल आते हैं	डेयर (आईसीएआर)/बागवानी/क्रॉपस
	बामर जिले में खजूर के लिए रोपण सामग्री	बागवानी
	पीएमएफबीवाई के तहत प्रीमियम कैपिंग में छूट प्रदान करना	क्रेडिट
	उत्पादन बढ़ाने के लिए मिलेट की नई किस्मों की खोज	क्रॉपस/डेयर
	पीएमएफबीवाई के तहत लंबित मामलों में तेजी लाई जाए	क्रेडिट
	मिलेट के लिए अच्छी नीति होनी चाहिए	क्रॉपस
	पश्चिमी राजस्थान में मिलेट केंद्र स्थापित किया जाए	क्रॉपस / डेयर
	इस बात का अध्ययन होना चाहिए कि किसान वापस केमिकल की ओर क्यों	आईएनएम

	गए?	
हिमाचल प्रदेश	सब्जियों और फलों की पैकेजिंग सामग्री पर जीएसटी दरों की समीक्षा	वित्त मंत्रालय/डीए एंड एफडब्ल्यू
	आलू बीज उगाने की नई तकनीक	बीज
	खेतों में बाड़ लगाने के लिए धनराशि	डीए और एफडब्ल्यू
	राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाओं (आर एंड डी संसाधन केंद्र) की स्थापना के लिए अनुरोध	डेयर (आईसीएआर)
	एआईएफ के लिए धनराशि की जरूरत	एआईएफ
	सीओई की स्थापना के लिए केंद्र से अनुरोध	डेयर
	दालचीनी के 10 लाख पौधों की आवश्यकता	बागवानी
मध्य प्रदेश	पीएमएफबीवाई में सुधार की आवश्यकता	क्रेडिट
	दलहन/तिलहन में 25% से 50% तक की सीमा	क्रॉपस
	मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्र में प्रमाणन	आईएनएम
	ऐसी नीति बनाएं जिससे किसानों की फसलों को एमएसपी पर रखा जाए	सीएसीपी
कर्नाटक	अनुमानित उपज की गणना के लिए संशोधन	
	किसान केंद्रित नीति की जरूरत	नीति
	7 वर्ष के आंकड़ों के आकलन के लिए पुनर्विचार किया जाए, क्योंकि यह अव्यावहारिक है	क्रेडिट
	पी-एम किसान में नए किसानों को	परिवार कल्याण

	शामिल करना	
	डीएपी (1300 रुपये) और संश्लिष्ट उर्वरक (1451 रुपये) के बीच के अंतर को कम किया जाना चाहिए।	आईएनएम/ उर्वरक विभाग
मिजोरम	ई-नाम में एफपीओ/एफपीसी का समावेश	विपणन
	उर्वरकों/विशेषकर डीएपी और एमओपी को शीघ्र और समय पर उपलब्ध कराने का अनुरोध	आईएनएम/ उर्वरक विभाग
	पाम ऑयल के बागानों को एक अच्छे कृषि लिंक रोड से जोड़ने का अनुरोध	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन
	भूमि समतलन और भूमि विकास के माध्यम से खेती के तहत शामिल करने के लिए संभावित समतल भूमि का पता लगाने हेतु भारत सरकार से विशेष विचार का अनुरोध	आईएनएम (एसएलयूएसआई)
	मिजोरम राज्य के 3 जिलों में केवीके की स्थापना	नीति / डेयर (आईसीएआर)
	पहाड़ी टेरेसिंग और विभिन्न सीएसएस के लागत मानदंड, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए बहुत कम हैं, के माध्यम से चावल की खेती के लिए भूमि के फार्मरोड निर्माण का मुद्दा	गृह मंत्रालय/डीए एंड एफडब्ल्यू
	जैव उर्वरकों की देशी प्रजातियों की पहचान करने की आवश्यकता	आईएनएम/डेयर
	जैव उर्वरक के लिए गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु सहायता	आईएनएम/ उर्वरक विभाग
छत्तीसगढ़	भारत सरकार के विशेष पैकेज की आवश्यकता है क्योंकि चाय और कॉफी की	वाणिज्य मंत्रालय

	अच्छी संभावना है	
	लैक खेती जिसकी अच्छी संभावना है, उसे पीएफएमबाई में शामिल किया जा सकता है	क्रेडिट
	दिशा-निर्देशों में किसान प्रशिक्षण के प्रावधान शामिल होने चाहिए	डीए और एफडब्ल्यू
	सिंचाई, फसल विविधीकरण, पोषक अपशिष्ट के लिए सब्सिडी की आवश्यकता है	क्रॉपस /आरएफएस/आईएनएम
असम	पीएम-किसान में विरासत का मुद्दा है, छूट मांगी गई है	क्रेडिट
	मिलेट की फसल के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री की आवश्यकता होती है	क्रॉपस
	भूमि डिजिटलीकरण में समय लगेगा और जुलाई तक पूरा नहीं होगा	एफडब्ल्यू
	अधिसूचना मुद्दा	डीए एंड एफडब्ल्यू/ असम सरकार
मणिपुर	टेरेस खेती के लिए वैकल्पिक भूमि मार्ग	डीए एंड एफडब्ल्यू, पर्यावरण और वन मंत्रालय
	परियोजनाओं / योजनाओं के लिए समर्थन	डीए एंड एफडब्ल्यू

अनुबंध- II

दिनांक 14-15 जुलाई 2022 को आयोजित राज्य कृषि एवं बागवानी मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने वालों की सूची

-

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

1. श्री. नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय मंत्री (ए एंड एफडब्ल्यू)
2. श्री. कैलाश चौधरी, माननीय राज्यमंत्री (ए एंड एफडब्ल्यू)
3. सुश्री शोभा करांदलाजे, माननीय राज्यमंत्री (ए एंड एफडब्ल्यू)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

1. डॉ. मनसुख मंडाविया, माननीय मंत्री (सी एंड एफ)
2. श्री भगवंत खुबा, माननीय राज्य मंत्री (सी एंड एफ)
3. श्रीमती आरती आहूजा, सचिव (सी एंड एफ)
4. श्रीमती नीरजा अदिदाम, संयुक्त सचिव (सी एंड एफ)

माननीय राज्य कृषि मंत्री

1. श्री बसवराज बोम्मनी, माननीय मुख्यमंत्री, कर्नाटक सरकार।
2. श्री अतुल बोरा, (असम)
3. श्री काकानी गोवर्धन रेड्डी, (आंध्र प्रदेश)
4. श्री तागे तकी, (अरुणाचल प्रदेश)
5. श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, (बिहार)
6. श्री राघवजीभाई पटेल, (गुजरात)
7. श्री बी. सी पाटिल, (कर्नाटक)
8. श्री पी प्रसाद, (केरल)
9. श्री वीरेंद्र कंवर, (हिमाचल प्रदेश)
10. श्री कमल पटेल, (मध्य प्रदेश)
11. श्री सी.सी. लालरिनसंगा (मिजोरम)
12. श्री कुलदीप सिंह धालीवाल, (पंजाब)
13. श्री लाल चंद कटारिया, (राजस्थान)
14. श्री लोकनाथ शर्मा, (सिक्किम)
15. श्री थिरु एमआर के पनीरसेल्वम, (तमिलनाडु)
16. श्री प्रणजीत सिंह राय, (त्रिपुरा)
17. श्री सूर्य प्रताप शाही, (उत्तर प्रदेश)
18. श्री गणेश जोशी, (उत्तराखंड)
19. श्री सी. जेकौमार, (पांडिचेरी)

माननीय राज्य बागवानी मंत्री

1. श्री मुनिरत्न, (कर्नाटक)

2. श्री दिनेश प्रताप सिन्हा, (उत्तर प्रदेश)

3. श्री भरत सिंह कुशवाहा, (मध्य प्रदेश)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

1. श्री मनोज आहूजा, सचिव (ए एंड एफडब्ल्यू)

2. डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, सचिव (डेयर एवं महानिदेशक, भाकृअनुप)

3. श्री संजीव कुमार, एएस और एफए

4. डॉ अभिलाक्ष लिखी, एएस (जीसी)

5. डॉ. ए.के. सिंह कृषि आयुक्त (ए एंड एफडब्ल्यू)

6. श्री अश्विनी कुमार, संयुक्त सचिव (जीसी)

7. श्रीमती छवि झा, संयुक्त सचिव (आरकेवीवाई)

8. श्रीमती शोमिता विश्वास, संयुक्त सचिव (एम एंड टी)

9. श्रीमती शुभा ठाकुर, संयुक्त सचिव (फसल)

10. श्रीमती विजय लक्ष्मी नादेंदला, संयुक्त सचिव (विपणन)

11. डॉ. प्रमोद कुमार मेहरड़ा, संयुक्त सचिव (पीपी)

12. श्री रितेश चौहान, संयुक्त सचिव (क्रेडिट)

13. डॉ. राजीव चावला, मुख्य ज्ञान अधिकारी

14. श्री प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव (आईएनएम)

15. श्री सैमुअल प्रवीण, संयुक्त सचिव (विस्तार)

16. डॉ. प्रभात कुमार, बागवानी आयुक्त (ए एंड एफडब्ल्यू)

17. श्री नवीन कुमार पाटले, अपर. आयुक्त, (बागवानी)

18. श्री एसआर इंगले, संयुक्त निदेशक, (मास मीडिया)

19. डॉ प्रशांत अर्मोरीकर, निदेशक (विस्तार)

20. डॉ हरविंदर सिंह, निदेशक उर्वरक आंदोलन

21. डॉ देवेंद्र कुमार यादव, सहायक महानिदेशक (आईसीएआर)

22. डॉ. आनंद कुमार सिंह, उप महानिदेशक, बागवानी विज्ञान (आईसीएआर)

23. श्री कैलाश चौधरी, डी एस, (जीसी)

24. श्रीमती सौम्या श्रीकांत, यूएस, (जीसी)

25. श्रीमती सीमा पाहुजा, एसओ (जीसी)

26. श्री राम नरेश, यूएस, (आईएफडी)

27. श्री हरित कुमार शाक्य, यूएस (एमआईडीएच)

28. श्री सूर्य नारायण प्रसाद गुप्ता, एएसओ (जीसी)

29. श्री रोहित, एएसओ (जीसी)

30. एस.एस. रावत, पी.पी.एस

<u>प्रोटोकॉल अधिकारी 'एस'</u>

1. श्रीमती एस. रुक्मणी, निदेशक (बीज)

2. श्री राकेश सिंह नायल, डीएस, (जीए)

3. श्री आशीष मल्होत्रा, डीएस, (पी)

4. श्री सुभाष चंद्र राम, उपायुक्त (एनआरएम)

राज्य कृषि विभाग

असम

1. डॉ. ओम प्रकाश, आयुक्त एवं सचिव, कृषि
2. डॉ. आशीष कुमार भूटानी, अपर मुख्य सचिव

अरुणाचल प्रदेश

1. श्री. बिडोल तायेंग, सचिव, कृषि
2. श्री. तागे तातुंग, निदेशक बागवानी

आंध्र प्रदेश

1. श्रीमती डॉ पूनम मालाकोंडैया, मुख्य आयुक्त, कृषि
2. डॉ जी शेखर बाबू, विशेष आयुक्त, कृषि

बिहार

1. डॉ. आदिता प्राकेश, निदेशक कृषि

छतीसगढ़

1. डॉ. अय्याज फकीरभाई तंबोली, विशेष सचिव, कृषि

हरियाणा

1. डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, कृषि निदेशक

झारखण्ड

2. श्री. अबूबकर सिद्दीकी पी, विशेष सचिव, कृषि
3. श्री. प्रदीप कुमार हजारी, विशेष सचिव, कृषि

कर्नाटक

1. श्रीमती वंदिता शर्मा, मुख्य सचिव कृषि

2. श्री. वी.पोन्नूराज, सचिव, ई-गवर्नेंस
3. श्री. शिवयोगी कलासाद, सचिव, कृषि
4. श्री. बी शरत, कृषि आयुक्त
4. श्री. राजेंद्र कुमार कटारिया, प्रमुख सचिव, बागवानी
6. श्रीमती नंदिनीकुमारी, निदेशक कृषि

केरल

1. श्री टी.वी. सुभाष, निदेशक कृषि
2. श्रीमती इशिता रॉय, कृषि उत्पादन आयुक्त

मणिपुर

1. सुश्री. हनी चारा, निदेशक (एच एंड एससी)

ओडिशा

1. श्री. प्रेम चंद्र चौधरी, कृषि निदेशक

महाराष्ट्र

1. श्री. एकनाथ डावाले, प्रमुख सचिव, कृषि
2. श्री. विकास पाटिल, कृषि निदेशक

मेघालय

1. श्री. एस.सी. साधु, सचिव, कृषि

मणिपुर

1. श्री. पी वैफेई, अपर मुख्य सचिव

नागालैंड

1. श्री. वाई. किखेतो सेमा, कृषि उत्पादन आयुक्त

पंजाब

1. श्री. धीलराज सिंह, प्रमुख सचिव, कृषि

राजस्थान

1. श्री. दिनेश कुमार, प्रमुख सचिव, कृषि
2. श्री. काना राम, आयुक्त, कृषि

सिक्किम

1. श्री. तिलक गजमेर, मुख्य सचिव कृषि

गुजरात

1. श्री. एस जे सोलंकी, निदेशक कृषि

तेलंगाना

1. श्री. रघुनंदन राव, सचिव, कृषि
2. श्रीमती लक्ष्मी बाई, निदेशक कृषि विपणन

त्रिपुरा

1. श्री. अपूर्व राय, सचिव, कृषि
2. श्री. सरादिंदु दास, निदेशक कृषि

तमिलनाडु

1. श्री. थिरु. सी. समायमूर्ति, कृषि उत्पादन आयुक्त और सचिव

उत्तर प्रदेश

1. श्री. अनुराग यादव, सचिव, कृषि
2. श्री. विवेक कुमार सिग्नेघ, निदेशक कृषि
3. श्री. आर.के. थोमर, निदेशक बागवानी

पश्चिम बंगाल

1. श्री. मशीर एलन, मुख्य सचिव, कृषि

पुदुचेरी

1. श्री. एएसपीएस. रविप्रकाश, सचिव कृषि
2. डॉ. एस वसंतकुमार, अपर निदेशक, कृषि

अंडमान और निकोबार

1. श्री. पंकज कुमार, सचिव कृषि

******